सिस्टर निविदिता ब्रिज, कोलकाता

अध्याय-VII

सीमा सड़क संगठन

7.1 सीमा सड़क संगठन, सड़क निर्माण कार्यपालक बल है जो सेना का एक अभिन्न अंग है और उसकी सहायता के लिए कार्य करता है । इसने केवल दो परियोजनाओं अर्थात् पूर्व में परियोजना टस्कर (जिसका नाम बदल कर परियोजना 'वरतक' रखा गया) और पश्चिम में परियोजना 'बीकन' पर कार्य करने के साथ मई, 1960 में अपने प्रचालनों की शुरूआत की थी । यह आज बढ़कर 18 परियोजनाओं वाला कार्यपालक बल हो गया है ।

7.2 सीमा सड़क संगठन ने न केवल उत्तर और पूर्वोत्तर क्षेत्र के सीमावर्ती क्षेत्रों को देश के शेष हिस्सों के साथ जोड़ा है बल्कि इसने बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में सड़क अवसंरचना का भी विकास किया है। इसके अलावा, इस संगठन को ताजकिस्तान, अफगानिस्तान, भूटान और म्यांमार जैसे देशों में सड़कों, हवाई क्षेत्रों आदि का निर्माण कार्य सौंपा गया है । सीमा सड़क संगठन ने अफगानिस्तान में कई विषमताओं और व्याप्त विद्रोह के बावजूद 215 किमी. डेलाराम–जरंग सड़क कार्य पूरा किया है ।

7.3 सीमा सड़क संगठन के कार्य

7.3.1 सीमा सड़क संगठन को रक्षा आवश्यकताओं के अनुरूप जनरल स्टाफ सड़कों के रूप में वर्गीकृत सीमा क्षेत्र सड़कों के निर्माण और अनुरक्षण का कार्य सौंपा गया है। जनरल स्टाफ सड़कों का विकास और अनुरक्षण, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के माध्यम से सीमा सड़क विकास बोर्ड द्वारा उपलब्ध कराई गई निधियों से किया जाता है ।

7.3.2 जनरल स्टाफ सड़कों के अतिरिक्त, सीमा सड़क संगठन, केन्द्र सरकार के अन्य मंत्रालयों और विभागों द्वारा सौंपे गए एजेंसी कार्य भी करता है। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, राज्य सरकारों और अन्य अर्द्ध–सरकारी संगठनों द्वारा सौंपे गए कार्य, डिपोजिट कार्यों के रूप में किए जाते हैं ।

7.4 महत्वपूर्ण उपलब्धियां

- इस संगठन की विविध क्षमताओं को देखते हुए 1458.06 करोड़ रु. की अनुमानित लागत से 8.80 कि.मी. लंबी रोहतांग सुरंग, इसके प्रवेश द्वारों के लिए पहुंच सड़क तथा लेह के लिए 292 कि.मी. लंबे वैकल्पिक मार्ग का निर्माण कार्य सौंपा गया; इससे संगठन को एक नई पहचान मिली है। निर्माण कार्यों में अभी तक लक्ष्यों के अनुसार प्रगति हुई है। रोहतांग सुरंग के दक्षिणी प्रवेश द्वार की पहुंच सड़क की लंबाई 11.750 कि.मी. और उत्तरी प्रवेश द्वार की पहुँच सड़क की लंबाई 0.975 कि.मी. है । सुरंग का निर्माण कार्य 5 नवंबर, 2009 को शुरू हुआ और वर्तमान प्रगति 22% है। सुरंग का निर्माण कार्य पूरा होने की संभावित तारीख (पीडीसी) फरवरी, 2015 है।

- सीमा सड़क संगठन को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की ओर से राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के उत्तर–दक्षिण महामार्ग के एक भाग के तौर पर जम्मू से विजयपुर तक राष्ट्रीय राजमार्ग 1ए के एक खंड को चार लेन का बनाने का कार्य सौंपा गया है । इस परियोजना की प्रारंभिक अनुमानित लागत 83.88 करोड़ रु. थी और विचलन आदेश के कारण इस परियोजना की संशोधित लागत मूल्य वृद्धि के बिना 109.36 करोड रुपए अनुमोदित की गई ।
- ''पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम के चरण–'क' का कुछ कार्य सीमा सड़क संगठन को सौंपा गया है। इस कार्य में एक चरणबद्ध कार्यक्रम के अंतर्गत नई सड़कों का निर्माण और मौजूदा सड़कों का दो लेन मानकों के अनुरूप सुधार करने का कार्य शामिल है । 2013–14 में परियोजना पूर्णता तिथि के साथ चरण 'क' के अंतर्गत 3870 करोड़ रु. की अनुमानित लागत से 1106.35 कि.मी. सड़कों को चौड़ा करने और चरण 'ख' के अंतर्गत 8500 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से 1883 किमी लंबी सड़कों के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के कार्य, सीमा सड़क संगठन को सौंपे गए हैं । ये कार्य वर्ष 2006–07 में शुरू हो चुके हैं । पूर्वोत्तर क्षेत्र में विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम के चरण का की प्रगति 59 प्रतिशत है ।
- 'अरूणाचल प्रदेश सडक एवं राजमार्ग पैकेज' के अंतर्गत 3600 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से 812 किमी लंबी सड़कों का दो लेन चौड़ीकरण कार्य भी सौंपा गया है । यह कार्य चल रहा है और इस कार्य की संभावित पूर्णता तिथि वर्ष 2016 की है । 'अरूणाचल प्रदेश सडक एवं राजमार्ग पैकेज' की प्रतिशत में प्रगति, 36 प्रतिशत है ।
- प्रधानमंत्री द्वारा घोषित की गई जम्मू और कश्मीर पुनर्निर्माण योजना के अंतर्गत 94 किमी. लंबी श्रीनगर–उड़ी (राष्ट्रीय राजमार्ग–1ए) सड़क, 17.30 किमी. लंबी उड़ी–एलओसी सड़क का उन्नयन कार्य, 265 किमी. लंबी बटोटे–किश्तवाड़–अनंतनाग (राष्ट्रीय राजमार्ग–1बी) को दो लेन का बनाने, 422 किमी. लंबी श्रीनगर–लेह सड़क वाया कारगिल (राष्ट्रीय राजमार्ग–1डी) को दो लेन का बनाने, 288.60 किमी. लंबी नीमू–पदम–डारचा सड़क का निर्माण और 14.14 कि.मी. लंबी डोमेल–कटरा (राष्ट्रीय राजमार्ग–1सी) सड़क को चौड़ा करने का कार्य सीमा सड़क संगठन को सौंपा गया है। इन परियोजनाओं की अनुमानित लागत 2856.95 करोड़ रुपए है । प्रारम्भ में इन कार्यों को वर्ष 2012 तक पूरा किया जाना था जिसे 2015 तक के लिए पुनः निर्धारित किया गया है, सिवाय निमु–पदम दार्चा के, जिसके लिए पीडीसी 2021 है । प्रधानमंत्री द्वारा घोषित जम्मू और कश्मीर पुनर्निर्माण योजना की समग्र प्रगति 64 प्रतिशत है ।
- सीमा सड़क संगठन ने सितंबर, 2008 में मेघालय में सोनापुर के नजदीक रारा–44 के किमी. 141.80 पर 120 मीटर लंबी कट और कवर सुरंग की बेजोड़ संरचना पूरी की है । इससे मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और असम के कछार क्षेत्रों के अग्रवर्ती इलाकों के लिए मानसून के दौरान सोनापुर भूस्खलन क्षेत्र में निर्बाध संचार लाइन सुकर हो जाएगी । रारा–52 पर 763.50 मी. लंबे पासीघाट पुल का कार्य 2010–11 में पूरा हो गया है । जम्मू व कश्मीर में रारा–1डी पर जोजिला (किमी 94.00 से किमी 118.00) और जैड मोड़ (किमी 77.50 से किमी 80.20) में क्रमशः 12 किमी और 3.1 किमी लंबी सुरंग के साध्यता अध्ययन कार्य का ठेका पूरा हो चुका है ।

जैड मोर्ट सुरंग का शिलान्यास समारोह

अहमदाबाद बड़ोदरा एक्सप्रेसवे

अध्याय-VIII

प्रशासन और वित्त

(क) प्रशासन

8.1 सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के प्रशासन विंग में स्थापना अनुभाग ओ एंड एम अनुभाग और रोकड़ अनुभाग शामिल हैं । प्रशासनिक विंग को इस मंत्रालय के 991 कर्मचारियों [ग्रुप ए,बी,सी और सी (एम.टी.एस)] के सेवा और प्रशासनिक मामलें, हाऊस–कीपिंग और वेतन आहरण और संवितरण एवं अन्य व्ययों का कार्य सौंपा गया है । विभिन्न संवर्गों का प्रबंधन कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, संघ लोक सेवा आयोग, वित्त मंत्रालय और प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग आदि द्वारा जारी किए गए अनुदेशों और दिशानिर्देशों के अनुरूप किए जाने का प्रयास किया जाता है ।

8.2 मंत्रालय द्वारा अनु.जा./अनु.ज.जा./अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण के संबंध में इस मंत्रालय में रिक्त पदों को भरने के लिए समय–समय पर जारी आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए विशेष प्रयास किए गए हैं । तकनीकी और गैर–तकनीकी पक्ष (ग्रुपवार) के लिए पृथक–पृथक सरकारी कर्मचारियों की कुल संख्या और इस मंत्रालय में अनु.जा./अनु.ज.जा. के कर्मचारियों के प्रतिनिधित्व संबंधी सूचना परिशिष्ट 7 में दी गई है ।

8.3 सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के पेंशन पेपर वेतन और लेखा अधिकारी के समक्ष समय पर प्रस्तुत किए जाते हैं और सेवानिवृत्ति लाभ सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारी कर्मचारी के सेवानिवृत्ति के अंतिम कार्य दिवस को प्रदान किए जाते हैं ।

8.4 सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय में एक वेलफेयर सैल मौजूद है जो मंत्रालय के अधिकारियों/कर्मचारियों के कल्याण उपाय संबंधी सभी कार्यकलाप करता है। सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों की विदाई के लिए मंत्रालय का वेलफेयर सैल एक विदाई पार्टी आयोजित करता है और उन्हें एक स्मारक चिन्ह (मिमेंटो), और एक उपहार भी भेंट किया जाता है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय में मंत्रालय की महिला कर्मचारियों के कल्याण के संबंध में अनेक कल्याणकारी उपाय किए गए हैं ।

8.5 राष्ट्रीय महत्व के महत्वपूर्ण दिवस अर्थात आतंकवाद–रोधी दिवस, साम्प्रदायिक सद्भाव दिवस, सद्भावना दिवस, सतर्कता जागरूकता सप्ताह, रैडक्रॉस दिवस, रैडक्रास रेफल ड्रा आदि मनाए गए और सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के कर्मचारियों द्वारा शपथ ग्रहण की गई । 'झंडा दिवस' के संबंध में अंशदान भी एकत्रित और संग्रहीत किया गया । साम्प्रदायिक सद्भाव सप्ताह/सतर्कता जागरूकता सप्ताह के दौरान हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में निबंध प्रतियोगिताएं भी आयोजित की गईं । इन अवसरों में भाग लेने वालों को पुरस्कार प्रदान किए गए ।

माननीय मंत्री
(सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय) के साथ वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक

सूचना और सुविधा केन्द्र की स्थापना

8.6 मंत्रालय में एक सूचना और सुविधा काउंटर काम कर रहा है जो प्रभावी तथा उत्तरदायी प्रशासन प्रदान करने के साथ–साथ विभाग द्वारा कार्यान्वित सेवाओं तथा कार्यक्रमों, स्कीमों आदि के बारे में नागरिकों को सूचना प्रदान करता है । इस काउंटर पर विभिन्न विषयों पर आम जनता के लिए उपयोगी सामग्री रखी गई है । जानकारी देने के अलावा, इस काउंटर पर लोक शिकायत आवेदन पत्र भी स्वीकार किए जाते हैं जिन्हें बाद में संबंधित प्राधिकारियों को विचारार्थ और निपटान हेतु भेज दिया जाता है ।

नागरिक चार्टर की संरचना

8.7 मंत्रालय के कार्य के बारे में जानकारी देने के लिए नागरिक चार्टर को अद्यतन बनाने/संशोधित किए जाने की प्रक्रिया चल रही है ।

विभागीय रिकार्ड रूम

8.8 मंत्रालय द्वारा अभिलेखों के प्रबंधन की ओर भी उचित ध्यान दिया जा रहा है । 25 वर्ष से अधिक पुराने सभी अभिलेखों को स्थायी रूप से संभाले जाने के लिए भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार में भेज दिया जाता है। 1 अप्रैल, 2012 से लेकर 31 दिसंबर, 2012 तक के दौरान, 2569 फाइलें रिकार्ड की गईं और अभिलेख धारण समय–तालिका के अनुसार 2215 फाइलों की समीक्षा की गई और उन्हें नष्ट किया गया ।

शिकायत निवारण और सी.पी.जी.आर.ए.एम.एस.

8.9 मंत्रालय में, संयुक्त सचिव (प्रशासन) की अध्यक्षता में एक लोक शिकायत निवारण तंत्र है। उन्हें लोक शिकायत निदेशक के रूप में पदनामित किया गया है । प्राप्त लोक शिकायतों के तुरन्त समाधान के लिए उन्हें संबंधित प्रशासनिक इकाइयों को भेज दिया जाता है । एक वेब–आधारित शिकायत निवारण तंत्र अर्थात् लोक शिकायत निवारण और मानीटरिंग प्रणाली (पीजीआरएएमएस) भी इस मंत्रालय में कार्य कर रही है । 1 अप्रैल, 2012 से 31 दिसंबर, 2012 तक की अवधि के दौरान कुल 830 लोक शिकायतें प्राप्त हुई और सभी मामले, त्वरित निपटान के लिए विभिन्न संबंधित एजेंसियों को पहले ही भेज दिए गए हैं ।

मंत्रालय में एक स्टाफ शिकायत निवारण तंत्र भी कार्य कर रहा है । शिकायत सुनने तथा शिकायत अर्जियां प्राप्त करने के लिए निदेशक, संबंधित प्रशासन अनुभाग के प्रभारी, उप सचिव (प्रशासन) को स्टाफ शिकायत निवारण अधिकारी के रूप में शिकायतों की सुनवाई के लिए पदनामित किया गया है । इसके अतिरिक्त, संयुक्त सचिव (प्रशासन) भी लोक सुनवाई के लिए उपलब्ध रहते हैं ।

ई–ऑफिस

8.10 एन.आई.सी. के अधिकारियों द्वारा ई–ऑफिस स्थापित किया गया है और अधिकतर स्टाफ और अधिकारियों को इसमें प्रशिक्षित किया गया है । ई–ऑफिस के प्रभावी उपयोग के लिए मंत्रालय के सभी कम्प्यूटरों को लोकल एरिया नेटवर्क से जोड़ा गया है । मंत्रालय के सम्बद्ध अधीनस्थ कार्यालयों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से अपने संगठन एमसी की सहायता से इस सिस्टम को लगाने का अनुरोध किया गया है । इस सिस्टम से सृजित पीएमओ/वीआईपी संदर्भों की स्थिति से संबंधित रिपोर्टों की सचिव एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा साप्ताहिक/मासिक बैठकों में समीक्षा की जा रही है ।

8.11 एन.आई.सी. के सर्वर में मंत्रालय की एक वेबसाइट शुरू की गई है ताकि उसे और अधिक सूचनाप्रद एवं प्रयोक्ता के अनुकूल बनाया जा सके । वेबसाइट को समय–समय पर अद्यतन और डिजाइन पुनः तैयार किया जाता है ।

(ख) वित्त

लेखांकन और बजट

8.12.1 सचिव, भारत सरकार, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के प्रमुख हैं और वे मंत्रालय के लिए मुख्य लेखांकन प्रधिकारी हैं और वह अपने कार्यों का निर्वहन, अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार (एएस एंड एफए) और प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक के माध्यम से करते हैं । सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के लेखा और बजट पक्ष, प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक के अधीन कार्य कर रहे हैं । प्रधान मुख्य नियंत्रक का कार्यालय, अन्य बातों के साथ–साथ, मंत्रालय के सभी प्राधिकृत भुगतान करने, मासिक और वार्षिक लेखों के समेकन, निर्धारित नियमों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय के अधीन आने वाली सभी इकाइयों की आंतरिक लेखा परीक्षा करने के लिए उत्तरदायी है । प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक के कार्यालय को बजट, केन्द्रीय लेन–देनों का विवरण, वित्तीय लेखों एवं विनियोजन लेखों को तैयार करने, वित्तीय और लेखांकन मामलों पर मंत्रालय को तकनीकी सलाह देने और रोकड़ प्रबंधन करने, लेखा महानियंत्रक, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, वित्त मंत्रालय और अन्य संबंधित एजेंसियों के साथ समन्वय करने का कार्य सौंपा गया है।

8.12.2 प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक कार्यालय में प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक, एक लेखा नियंत्रक, दो उप–लेखा नियंत्रक/सहायक लेखा नियंत्रक शामिल हैं। बजट अनुभाग में एक अवर सचिव (बजट) हैं। इस कार्यालय में मंत्रालय के लिए एक प्रधान लेखा अधिकारी, प्रशासन एवं स्थापना के लिए एक वरिष्ठ लेखा अधिकारी और उप–लेखा नियंत्रक/सहायक लेखा नियंत्रक की अध्यक्षता वाले आंतरिक लेखापरीक्षा

पक्ष के लिए एक वरिष्ठ लेखाधिकारी हैं। मुख्य लेखा नियंत्रक के प्रशासनिक नियंत्रण में ग्यारह भुगतान एवं लेखा कार्यालय/क्षेत्रीय भुगतान एवं लेखा कार्यालय हैं जो नई दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चंडीगढ़, बंगलौर, जयपुर, लखनऊ और गुवाहाटी में स्थित हैं। हाल ही में प्रत्यक्ष भुगतान प्रक्रिया लागू करने के लिए भोपाल और हैदराबाद में भी दो नए क्षेत्रीय भुगतान कार्यालय स्थापित किए गए हैं। गुवाहाटी में स्थित हैं। हाल ही में प्रत्यक्ष भुगतान प्रक्रिया लागू करने के लिए भोपाल और हैदराबाद में भी दो नए क्षेत्रीय भुगतान कार्यालय स्थापित किए गए हैं ।

8.12.3 सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक कार्यालय और देश में फैले इसके कार्यालयों को सौंपी गई जिम्मेदारियों का विस्तारपूर्वक ब्यौरा इस प्रकार है :–

भुगतान

- अनुमोदित बजट के अनुसार प्रस्तुत किए गए बिलों की पहले ही जांच करने के बाद मंत्रालय की ओर से भुगतान करना ।
- अधीनस्थ संबद्ध कार्यालयों, स्वायत्त निकायों, सोसाइटियों, एसोसिएशनों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और राज्य सरकारों को भुगतान करना ।
- मंत्रालय की ओर से व्यय करने के लिए अन्य मंत्रालयों को प्राधिकार प्रदान करना ।

प्राप्तियां

- मंत्रालय की प्राप्तियों को स्वीकार करना, बजट बनाना और लेखांकन करना ।
- राज्य सरकारों और सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों से प्राप्त ऋण और उस पर ब्याज की वापसी की मॉनिटरिंग करना ।
- नई पेंशन योजना के अंतर्गत प्राप्तियां और भुगतान ।

लेखे और रिपोर्ट प्रस्तुत करना

- सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के मासिक लेखे, केन्द्रीय लेन–देन का विवरण, वित्तीय लेखों का विवरण, शीर्ष–वार तथा चरण–वार विनियोजन लेखों को तैयार करना और उन्हें लेखा महानियंत्रक, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग तथा महानिदेशक लेखा परीक्षा, केन्द्रीय राजस्व को प्रस्तुत करना ।
- कार्य निष्पादन बजट सहित वार्षिक बजट तैयार करना और वित्त वर्ष के दौरान बजट प्रक्रिया में वित्त मंत्रालय के साथ समन्वय करना ।

- आंतरिक अतिरिक्त बजटीय संसाधनों की मॉनीटरिंग करना और इसे सीएजी कार्यालय को प्रस्तुत करना।
- राजकोषीय उत्तरदायित्व और वित्तीय प्रबंधन अधिनियम और नियमावली के अनुसार अनिवार्य सूचना की निगरानी करना और उसे प्रस्तुत करना ।
- विभिन्न प्राधिकरणों को प्रस्तुत करने के लिए लेखांकन, बजट और लेखा परीक्षा डाटा पर आधारित प्रबंधन सूचना रिपोर्टों को तैयार करना ।
- मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए आवतियों और व्यय के संबंध में मासिक आधार पर वित्तीय आंकड़े तैयार करना ।
- बजट आधारित मासिक व्यय/साप्ताहिक व्यय तैयार करना और विभिन्न प्राधिकारियों जैसे कि अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, सचिव आदि को व्यय की मॉनीटरिंग के लिए प्रस्तुत करना ।
- मंत्रालय को भेजने के लिए वार्षिक रिपोर्ट हेतु सामग्री तैयार करना, लेखों पर एक नजर और व्यय के फ्लेश आंकड़े तैयार करना और उनको सीजीए को भेजना तथा अनंतिम लेखों को तैयार करना और उनको मंत्रालय को भेजना ।
- पीएओ/आरपीओ से प्राप्त एमआईएस के आधार पर मासिक डीओ तैयार करना और सीजीए को भेजना ।

8.13 बजट

- सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की निधियों के वार्षिक बजट प्राक्कलन और संशोधित प्राक्कलन तैयार करना और प्रस्तुत करना तथा धनराशि का पुनर्विनियोजन करना तथा बजट संबंधी सभी मामलों में वित्त मंत्रालय और अन्य विभागों के साथ समन्वय करना ।
- वास्तविक व्यय को समाविष्ट करके वार्षिक अनुदान मांगों का पुनरीक्षण करना।
- सीएण्डएजी ऑफ इंडिया (सिविल एण्ड कॉमर्शियल) के सभी लेखा परीक्षा पैरा और टिप्पणियों की मॉनीटरिंग/निपटान करना और 'की गई कार्रवाई संबंधी नोट'/बचत संबंधी व्याख्यात्मक नोट के लिए व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय के मॉनीटरिंग प्रकोष्ठ के साथ समन्वय करना तथा लोक लेखा समिति की रिपोर्टों के चयनित अनुदानों की समीक्षा और एटीएन नोट भी तैयार करना ।
- समीक्षा प्राप्तियों, ब्याज प्राप्तियों और लोक लेखों के वार्षिक प्राक्कलन तैयार करना।

8.14 आंतरिक लेखा परीक्षा

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के प्रधान सीसीए संगठन में मंत्रालय के विभिन्न विभागों के कार्यकरण में

सुसंगत अशुद्धियों/चूकों की पहचान करने के लिए और आवश्यक कार्रवाई/सुधार के लिए प्रबंधन को सलाह देने के लिए एक प्रभावी यंत्र के रूप में आंतरिक लेखा परीक्षा विंग स्थापित की गई है । यह विंग दैनंदिन कार्यकलाप में विषयनिष्ठता और वित्तीय औचित्य और वित्तीय समझदारी में अति संवेदनशीलता लाने के लिए एक बड़े प्रबंधन यंत्र के रूप में सिद्ध हुआ है ।

आंतरिक लेखा परीक्षा विंगके अधिकारियों तथा अन्य अनुभागों में तैनात अधिकारियों को विगत में आंतरिक लेखा परीक्षा से संबंधित विभिन्न प्रशिक्षण प्रदान किए गए हैं । इस वर्ष जोखिम आधारित लेखा परीक्षा में तीन ए.ए.ओ. को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है ।

प्रधान सी.सी.ए. संगठन द्वारा विगत कुछ वर्षों के दौरान आंतरिक लेखा परीक्षा तंत्र के प्रभावी उपयोग के परिणामस्वरूप सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के लगभग सभी कार्यालयों में लेखा अनुरक्षण के संबंध में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है । प्रमुख अनियमितताओं/कमियों वाले लेखा परीक्षा के पैरा विभागाध्यक्ष के नोटिस में लाए जाते हैं और पैराओं के निपटान के लिए मामलों को उठाया जाता है तथा बकाया पैराओं के निपटान के लिए प्रधान सी.सी.ए. कार्यालय द्वारा समीक्षा बैठकों की भी व्यवस्था की जाती है । वर्ष के दौरान एन.एच. प्रभाग की 59 यूनिटों और 29 पी.ए.ओ./मंत्रालय के आर.पी.ए.ओ. की लेखा परीक्षा की गई है ।

- मंत्रालय के सभी पक्षों के लेखों की आंतरिक लेखा परीक्षा/निरीक्षण करना और राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण और अनुरक्षण का कार्य करने वाले राज्य सरकारों के लोक निर्माण प्रभागों (राष्ट्रीय राजमार्ग) और मंत्रालय की इकाईयों के लेखाकरण की परीक्षण जांच करना ।
- लोक लेखा समिति और अन्य संसदीय समितियों के अधिकार–क्षेत्र में आने वाले सभी लेखापरीक्षा पैराओं और समुक्तियों की मॉनीटरिंग और निपटान ।
- मंत्रालय के सभी पक्षों में आंतरिक कार्य अध्ययन करना और वित्त मंत्रालय की 'स्टाफ निरीक्षण इकाई' के साथ समन्वय करना ।
- आंतरिक लेखा परीक्षा के कार्य निष्पादन की वार्षिक समीक्षा तैयार करना ।

लेखों का कंप्यूटरीकरण

8.15.1 इन कार्यों को करने के लिए अनेक नई पहलें की गई हैं जिनसे मंत्रालय की कार्यप्रणाली की समग्र कारगरता और दक्षता में बहुत अधिक सहायता मिली है । लेखों के संकलन में होने वाले विलंब को दूर करने और व्यय लेखों से संबंधित सूचना प्रदान करने के लिए इस समय कॉम्पेक्ट, कांटेक्ट, ई–लेखा आदि जैसे विभिन्न सॉफ्टवेअर पैकेजों को कार्यान्वित किया जा रहा है ।

8.15.2 **कंप्यूटरीकृत लेखाकरण (कॉम्पेक्ट)** : यय लेखों के लिए यह एक व्यापक पैकेज है जिसमें प्री–चेक, जीपीएफ, बजट, पेंशन, संकलन और नई पेंशन योजना जैसे मुख्य लेखांकन कार्य सहित सभी मुख्य लेखांकन प्रकार्य शामिल हैं और इस सॅफ्टवेयर को सभी भुगतान एवं लेखा कार्यालयों/क्षेत्रीय भुगतान एवं लेखा कार्यालयों में सफलता पूर्वक लागू किया गया । इससे न केवल अति कुशल भुगतान प्रणाली तैयार होने और लेखा तैयार करने में समय पालन की स्थिति बनी है अपितु सम्पूर्ण प्रक्रिया में अधिक पारदर्शिता भी आई है ।

8.15.3 कांन्टेक्टः मासिक लेखों के संकलन के लिए इस सॉफ्टवेयर का प्रधान लेखा कार्यालय में उपयोग किया जा रहा है । प्रत्येक महीने, विभिन्न अनुदानों की प्राप्तियों और व्यय की विस्तृत समीक्षा तैयार की जाती है और सीजीए कार्यालय को भेजी जाती है और व्यय विवरण, मंत्रालय के अवर सचिव (बजट), अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार और सचिव को भेजा जाता है । इसमें व्यय का मुख्य–शीर्षवार, प्रयोजन शीर्षवार और स्कीमवार पैटर्न, विभिन्न गैर कर राजस्व मदों का शीर्ष वार प्राक्कलन और प्राप्तियां, पूर्व वर्ष के आंकड़ों के साथ तुलना और लंबित उपयोग प्रमाणपत्रों की स्थिति आदि शामिल होती है।

सीजीए कार्यालय को भेजी जाती है और व्यय विवरण, मंत्रालय के अवर सचिव (बजट), अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार और सचिव को भेजा जाता है । इसमें व्यय का मुख्य–शीर्षवार, प्रयोजन शीर्षवार और स्कीमवार पैटर्न, विभिन्न गैर कर राजस्व मदों का शीर्ष वार प्राक्कलन और प्राप्तियां, पूर्व वर्ष के आंकड़ों के साथ तुलना और लंबित उपयोग प्रमाणपत्रों की स्थिति आदि शामिल होती है।

8.15.4 ई–लेखाः यह वेब आधारित एक कार्यक्रम है जिसके द्वारा व्यय लेखांकन सूचना का दैनिक/मासिक एमआईएस तैयार किया जाता है । सभी भुगतान एवं लेखा कार्यालयों/क्षेत्रीय भुगतान एवं लेखा कार्यालयों को वेब आधारित लेखा पोर्टल, ई–लेखा से पूर्णतः एकीकृत कर दिया गया है । उनको अपना दैनिक लेन–देन इस पोर्टल पर अपलोड करना होता है ताकि व्यय और प्राप्तियों की तारीख दैनिक आधार पर उपलब्ध रहे । इससे व्यय और प्राप्ति पर वास्तविक समयाधारित–डाटा उपलब्ध हो जाता है जो व्यय/प्राप्तियों की प्रभावी मॉनीटरिंग और बजटीय नियंत्रण के लिए महत्वपूर्ण है । इस पोर्टल की प्रबंधन सूचना प्रणाली से सृजित रिपोर्टें, महत्वपूर्ण प्रबंधकीय टूल हैं और इनका उपयोग, मंत्रालय के विभिन्न विभागों द्वारा किया जाता है ।

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के ई–भुगतान का कार्यान्वयन

8.15.5 वेतन और लेखा कर्यालय, भारत सरकार में ई–शासन के लिए एक मुख्य पहल के रूप में 31.3.2012 तक भारत के सिविल मंत्रालयों के सभी वेतन और लेखा कार्यालयों में कार्यान्वित किए जाने के लिए ई–भुगतान विधि की योजना बनाई गई थी । ई–भुगतान के नए युग में, ग्राहक/बैंक को चैक/ड्रफ्ट जारी किए जाने

के स्थान पर पी.ए.ओ. बैंकों को वास्तविक प्राईवेट नेटवर्क का इस्तेमाल करते हुए गवर्मेंट ई–पेमेंट गेटवे (जीईजीपी) के माध्यम से संबंधित ग्राहक को ऑन लाइन भुगतान करने के लिए सलाह एडवाइस देंगे । ऑनलाइन भुगतान की (एडवाइस) प्राप्त होने पर बैंक भुगतान को संसाधित करेंगे और ग्राहक के खाते में संगत भुगतान को सीधे ही ऑन लाइन जमा कर देंगे । इस नई पद्धति के अंतर्गत यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि ग्राहक के लेखे में भुगतान की संपुष्टि, ग्राहक के लाभ के लिए लेन–देन के ब्यौरे सहित एसएमएस अथवा ई–मेल के द्वारा संपुष्ट/संसूचित कर दी गई है । उचित संसाधन के लिए एक तंत्र विकसित किया गया है । जिसमें बैंक नित्य ई–स्क्राल अपलोड करेगा और पीएओ, उसे डाउनलोड करेगा और पद्धति में ही आवश्यक आनलाइन पुनः समाधान करेगा । ई–भुगतान पद्धति तो को जून, 2012 से सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के सभी पीएओ/आरपीएओ में कार्यान्वित कर दिया गया है ।

पेंशन/परिवार पेंशन का ई–संशोधन

8.15.6 पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने केंद्रीय पेंशन लेखा कर्यालय (सीपीएओ) के साथ परामर्श करके 2006 से पहले सेवानिवृत्त हुए भारत सरकार के सभी सिविल कर्मचारियों के लिए छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर पेंशन को आन लाइन संशोधित करने की पहल की है । इसके पश्चात् सीपीएओ के दिशा निर्देश और लेखा महानियंत्रक के कार्यालय के अनुवीक्षण के अंतर्गत सभी सिविल मंत्रालय, एनआईसी के साथ परामर्श करके सीपीएओ द्वारा तैयार किए गए वेब पोर्टल पर पेंशन भोगियों की पेंशन ऑन लाइन संशोधित कर रहे हैं ।

इस संशोधन कार्य के लिए प्रधान सीसीए कार्यालय इस मंत्रालय में नोडल कार्यालय है और देश के विभिन्न भागों में स्थित सभी वेतन और लेखा कार्यालय इन पेंशनभोगियों की पेंशन संशोधित कर रहे हैं। 1990 और 2006 से पूर्व के पेंशनभोगियों के पेंशन संशोधन के लिए अपेक्षित 1073 मामलों में से अधिकतम मामलों को निपटा दिया गया है और संशोधित प्राधिकार जारी कर दिए गए हैं । अभी भी 110 मामले लंबित है । लंबित मामलों की स्थिति की समीक्षा प्रधान सीसीए कार्यालय, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा नियमित अंतराल पर की जा रही है ।

केंद्रीय योजना अनुवीक्षण पद्धति

8.16.1 वर्ष 2008–09 में माननीय वित्त मंत्री ने योजना स्कीम प्रशासित करने के लिए उत्तरदायी विभिन्न स्कीम प्रबंधकों को व्यापक निर्णय सहायत और प्रबंधन सूचना प्रदान करने के लिए केंद्रीय योजना अनुवीक्षण पद्धति (सीपीएमएस) स्थापित किए जाने की घोषणा की थी । तभी से चयनित योजना और गैर–योजना स्कीमों के अंतर्गत लाभ भोगियों को प्रत्यक्ष भुगतान शामिल करने के लिए सी.पी.एस.एम.एस. के कार्यक्षेत्र को बड़ा किया गया है । सी.पी.एस.एम.एस. योजना आयोग की एक केंद्रीय क्षेत्र योजना स्कीम हैं जिसका कार्यान्वयन

राष्ट्रीय सूचना केंद्र के साथ मिलकर लेखा महानियंत्रक के कार्यालय द्वारा किया जा रहा है। इस स्कीम ने भारत सरकार की योजना स्कीमों के लिए साझा लेन–देन आधारित–ऑन लाइन विधि प्रबंधन और भुगतान पद्धति तथा एमआईएस स्थापित किया है । राज्य कोषागारों में सीधे ही प्राप्त योजना निधि के प्रभावी भुगतानों के लिए यह मंच अब राज्य सरकारों को प्रदान किया गया है ।

8.16.2 सी.पी.एस.एम.एस. के उद्देश्य

- सक्षम निधि प्रबंधन पद्धति स्थापित करना
- प्रभावी व्यय सूचना नेटवर्क स्थापित करना
- सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन के क्षेत्र में सुधार
- सार्वजनिक प्रकटीकरण

8.16.3 इस स्कीम का कार्यान्वयन लेखा महानियंत्रक के कार्यालय द्वारा विकसित और लगाई गई वेब आधारित एप्लीकेशन के माध्यम से किया जा रहा है । जिससे कम्पैक्ट और ई–लेखा तथा बैंकिंग प्रणाली द्वारा विकसित इंटरफेस जैसी सुस्थापित लेखा और वित्तीय रिपोर्टिंग एप्लीकेशन का लाभ प्राप्त हुआ है। सभी मंत्रालयों/विभागों से यह अपेक्षित है कि वे बैंक लेखा ब्यौरे के साथ सी.पी.एस.एम.एस. पर भारत सरकार से प्राप्त अनुदान प्राप्त करने वाली एजेंसियों/वैयक्तिक लाभभोगियों का ब्यौरा दर्ज करें । सेंक्शन आईडी पोर्टलैंड पर सृजित की जाती है, संस्वीकृति आदेश तैयार किए जाते हैं, आहरण और वितरण अधिकारी बिल संख्या डालते हैं और आदाता एजेंसी सेंक्शन आईडी के संबंध में भुगतान ब्यौरा दर्ज करता है । भुगतान ब्यौरा एक वास्तविक सेंक्शन आईडी विधि केंद्रीय सरकार के सभी मंत्रालयों में पूरी तरह से सक्रिय है जिससे भारत सरकार की विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत निधि प्राप्तकर्ताओं सभी कार्यान्वयन एजेंसियों और वैयक्तिक लाभभोगियों का व्यापक ब्यौरा सृजित हो जाता है । सी.पी.एस.एम.एस. 90 बैंकों (26 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक) के कोर बैंकिग समाधान (सीबीएस) के साथ सुरक्षित समाकलन के माध्यम से निधि प्रबंधन और ई–भुगतान में सहायता करता है । सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन के क्षेत्र में सी.पी.एस.एम.एस. लेन देन आधारित, सुदृढ, विश्वसनीय और पारदर्शी वित्तीय प्रबंधन सूचना पद्धति (सी.पी.एस.एम.एस.) के सृजन को प्रोत्साहित करता है । अन्य सी.पी.एस.एम.एस. एप्लीकेशनों से भिन्न, जहां वित्तीय सी.पी.एस.एम.एस. कार्योत्तर डाटा फीडिंग पर निर्भर करता है, सी.पी.एस.एम.एस. में निधि उपयोग डाटा का कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा किए गए बैंकिंग लेन देनों के साथ परस्पर सह संबंध है । अतः सिस्टम से उपलब्ध सी.पी.एस.एम.एस.,वास्तविक समय आधार पर वित्तीय लेन देनों संबंधी बैंक समाधित डाटा होता है ।

उपलब्धियां

8.16.4 केंद्रीय सरकारी योजना निधियों की सभी प्रथम स्तर की प्राप्तकर्ता एजेंसिया, उनके बैंक लेखा ब्यौरे सहित सिस्टम में दर्ज हैं । फलस्वरूप भू–भागीय वितरण के अनुरूप स्कीमवार, एजेंसीवार, क्षेत्रवार निधियों की रिपोर्टें वास्तविक समय आधार पर उपलब्ध होती है। लगभग 9,50,000 से अधिक कार्यान्वयन एजेंसिया सी.

पी.एस.एम.एस. पोर्टल पर पहले ही दर्ज हैं । लगभग 3000 एजेंसियां इस सिस्टम पर प्रतिदिन स्वयं को दर्ज करा रही हैं । ये एजेंसियां सी.पी.एस.एम.एस. एप्लीकेशन का इस्तेमाल उन लेनदेनों के लिए उन लाभभोगियों को निधि अंतरित और ई–भुगतान, करने के लिए कर रही हैं जिनके बैंक–शाखाओं अथवा डाकघरों में खाते हैं । सी.पी.एस.एम.एस. केंद्र सरकार स्तर पर पूरी तरह कार्यान्वित की गई है और सिविल मंत्रालयों/केंद्रीय सरकार के विभागों से जारी योजना स्कीम,एक अद्वितयी सैंक्शन आईडी के साथ सी.पी. एस.एम.एस. के माध्यम से आवश्यक रूप से भेजी जाती है । सी.पी.एस.एम.एस. के प्रधान प्रयोक्ताओं में शामिल हैं– योजना आयोग, वित्त मंत्रालय, सभी केंद्रीय मंत्रालय, राज्य सरकारें, कार्यक्रम प्रबंधक, बैंक और गैरसरकारी संगठन जो केंद्र सरकार से निर्णय प्राप्त करते हैं । सी.पी.एस.एम.एस. (लाभभोगियों के खातों में सीधे अंतरण) के माध्यम से ई–भुगतान का सफलतापूर्वक कार्यान्वयन एम जी एन आर ई एस के अंतर्गत बिहार में किया जा रहा है जिसमें 40,000 से ज्यादा लाभभोगी और 4,000 करोड़ रुपए से ज्यादा राशि शामिल है। ई–भुगतान को शीघ्र ही एनआरएचएम, एसएसए और मध्यान्ह भोजन स्कीम के अंतर्गत ओडिशा में भी प्रारम्भ किए जाने की आशा है । विभिन राज्य सरकारों ने अपने समाज कल्याण लाभों का वितरण करने के लिए सी.पी.एस.एम.एस. एप्लीकेशन का इस्तेमाल करने में रूचि प्रकट की है । सी.पी.एस.एम.एस., एनपीसीआई के साथ सम्बद्ध है और उसने तमिलनाडु राज्य के पुदुच्चेरी जिले में जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत प्रथम आधार आधारित भुगतान सफलतापूर्वक किया है । राज्य कोषागारों के माध्यम से केंद्रीय सरकार द्वारा संवितरित निधि की सूचना प्राप्त करने के लिए महाराष्ट्र कोषागार के साथ एक इंटरफेस को पहले ही प्रचालनात्मक बना दिया गया है। इसी प्रकार मध्य प्रदेश और ओडिशा के कोषागारों के साथ इंटरफेस भी तैयार किया जा रहा है । माननीय वित्त मंत्री ने अपने 2012–13 के बजट भाषण में भारत सरकार से जारी सभी निधियों का ब्यौरा रखे जाने के लिए सी.पी.एस.एम.एस. के विस्तार की घोषणा की है । इसी अधिदेश की तर्ज पर, इस वित्तीय वर्ष के दौरान इस स्कीम को अनेक स्कीमों में विस्तारित किया जाएगा । एक समर्पित सावर्जनिक सूचना पोर्टल के माध्यम से संगत आंकड़ों का सार्वजनिक प्रकटीकरण किए जाने की भी तैयारी है ।

एनआरएचएम, एसएसए और मध्यान्ह भोजन स्कीम के अंतर्गत ओडिशा में भी प्रारम्भ किए जाने की आशा है । विभिन राज्य सरकारों ने अपने समाज कल्याण लाभों का वितरण करने के लिए सी.पी.एस.एम.एस. एप्लीकेशन का इस्तेमाल करने में रूचि प्रकट की है । सी.पी.एस.एम.एस., एनपीसीआई के साथ सम्बद्ध है और उसने तमिलनाडु राज्य के पुदुच्चेरी जिले में जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत प्रथम आधार आधारित भुगतान सफलतापूर्वक किया है । राज्य कोषागारों के माध्यम से केंद्रीय सरकार द्वारा संवितरित निधि की सूचना प्राप्त करने के लिए महाराष्ट्र कोषागार के साथ एक इंटरफेस को पहले ही प्रचालनात्मक बना दिया गया है । इसी प्रकार मध्य प्रदेश और ओडिशा के कोषागारों के साथ इंटरफेस भी तैयार किया जा रहा है । माननीय वित्त मंत्री ने अपने 2012–13 के बजट भाषण में भारत सरकार से जारी सभी निधियों का ब्यौरा रखे जाने के लिए सी.पी.एस.एम.एस. के विस्तार की घोषणा की है । इसी अधिदेश की तर्ज पर, इस वित्तीय

वर्ष के दौरान इस स्कीम को अनेक स्कीमों में विस्तारित किया जाएगा । एक समर्पित सार्वजनिक सूचना पोर्टल के माध्यम से संगत आंकड़ों का सार्वजनिक प्रकटीकरण किए जाने की भी तैयारी है ।

बकाया की गई कार्रवाई नोट (एटीएन)

8.17.1 सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की ओर से चार ए.टी.एन. पैरा लंबित है जिनकी सूची निम्नलिखित हैः–

पैरा 13.1 मुख्य पत्तनों के पत्तन सड़क संपर्क के कार्यान्वयन के लिए, निरूपित विशेष प्रयोजन वाहन के प्रचालन की समीक्षा ।

पैरा 13.2 रियायतग्राही से शास्ति की वसूली न किया जाना ।

पैरा 13.3 पथकर प्लाजा के निर्माण में असाधारण विलंब के कारण राजस्व क्षति ।

पैरा 13.4 परिहार योग्य ब्याज के भुगतान के कारण क्षति

8.17.2 ये पैरा संबंधित विभागों/विंगों से उचित उत्तर प्राप्त न होने के कारण आज की तारीख तक लंबित हैं । ए.टी.एन. के संबंध में जब भी कमी सामग्री प्राप्त होगी, ए.टी.एन. पैरा पुनरीक्षण हेतु डी.जी.ए.सी.आर. को प्रस्तुत किए जाने के लिए तैयार किए जाएंगे । लेखा परीक्षा पैरा का ब्यौरा परिशिष्ट में दिया गया है ।

अनुदान सं. 81– सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय

8.18 वर्ष 2012–13 के लिए वास्तविक व्यय (31 दिसम्बर, 2012 तक) परिशिष्ट 9 में दर्शाया गया है । विगत तीन वर्षो के लिए केंद्रीय लेनदेन वितरण के अनुसार प्राप्तियों का शीर्ष कर ब्यौरा परिशिष्ट 10 में दर्शाया गया है और तीन वर्ष के लिए विस्तृत व्यय प्राप्तियां परिशिष्ट 11 में दर्शायी गई हैं । लेखों की विशिष्टताएं, परिशिष्ट 12 में दी गई हैं ।

(ग) सतर्कता

8.19 मंत्रालय की सर्तकता यूनिट, मंत्रालय के सतर्कता कार्यों के समन्वय और पर्यवेक्षण के लिए उत्तरदायी है । इस यूनिट के प्रमुख, मुख्य सतर्कता अधिकारी हैं । संयुक्त सचिव (परिवहन व सामान्य) इस मंत्रालय के मुख्य सतर्कता अधिकारी भी हैं जिनकी नियुक्ति केन्द्रीय सतर्कता आयोग के अनुमोदन से की गई है । सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय का एक स्वायत्त निकाय अर्थात् भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण है जिसमें पृथक से एक पूर्णकालिक मुख्य सतर्कता अधिकारी है ।

वर्ष 2012–13 के दौरान, प्राप्त शिकायतों पर कार्रवाई (यथा अपेक्षा केन्द्रीय सतर्कता आयोग के परामर्श से) करने के अतिरिक्त निवारक सतर्कता की भूमिका पर विशे बल दिया गया इस संबंध में (i) आटो ईंधन की खुदरा दुकानों के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किए जाने और 'पहले आओ, पहले पाओ' आधार पर निजी संपत्तियों तक पहुंच के लिए अनुरोधों को संसाधित किए जाने और अनापत्ति मामलों को संसाधित किए जाने के लिए 30 दिन की समय–सीमा प्रवृत्त किए जाने (ii) प्रत्यक्ष भुगतान प्रक्रिया के अंतर्गत 'पहले आओ, पहले पाओ' आधार पर बिलों को संसाधित किए जाने और (iii) एक सक्रिय नीति के माध्यम से तकनीकी और गैर तकनीकी

अधिकारियों के लिए स्थानांतरण/तैनाती नीति के अनुरूप कार्मिकों के वार्षिक स्थानांतरण/तैनाती के लिए अनुदेश जारी किए गए । राष्ट्रीय रजिस्टर और राष्ट्रीय परिवहन पोर्टल शुरू करना, इलैक्ट्रानिक पथकर संग्रहण प्रणाली शुरू करना, मंत्रालय की वेबसाइट पर मंत्रालय का फेसबुक पृष्ठ शुरू करना, ई–निविदा शुरू करना आदि शामिल है ।

मंत्रालय में 29 अक्टूबर से 03 नवंबर, 2011 के दौरान सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया गया । मंत्रालय के सभी कर्मचारियों को सचिव द्वारा शपथ दिलाई गई । सतर्कता जागरुकता सप्ताह के दौरान 'सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की कार्य प्रणाली में पारदर्शिता संवर्धित करने के लिए प्रापण में सूचना प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल' और 'निवारण सर्तकता' को किस प्रकार प्रभावी बनाया जा सकता है' विषयों पर निबंध प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया ।

(घ) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का क्रियान्वयन

8.20 सूचना का अधिकार अधिनियम का मूल उद्देश्य, सार्वजनिक प्राधिकरणों के नियंत्रणाधीन सूचना, नागरिकों को प्रदान करने/सूचना तक नागरिकों की पहुंच सुकर करने के लिए सूचना के अधिकार की व्यावहारिक व्यवस्था लागू करने का है । सार्वजनिक प्राधिकरणों की कार्य प्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए केन्द्रीय सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोग स्थापित किए गए हैं । सूचना का अधिकार अधिनियम के अनुसार इस मंत्रालय में सूचना का अधिकार अनुभाग, जन सूचना अधिकारियों, अपीलीय अधिकारियों की व्यवस्था की गई है । सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 4(1) (ख) के अधीन जन प्राधिकारियों द्वारा जनता को इंटरनेट सहित संचार के विभिन्न साधनों के माध्यम से स्वतः सूचना दी जा रही है । सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 द्वारा निर्धारित शुल्क के साथ आरटीआई आवेदन पत्र प्राप्त करने के लिए परिवहन भवन के भूतल पर एक काउंटर खोला गया है । सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 8 और 9 में प्रदत्त छूटों को ध्यान में रखते हुए, इस अधिनियम में उल्लिखित निर्धारित समय में आवेदक/जनता को सूचना प्रदान की जा रही है और सूचना न देने के कारण जहां आवश्यक हों, बताए जाते हैं। मंत्रालय के प्रशासकीय नियंत्रणाधीन दो संगठन हैं अर्थात् भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, जो कि एक स्वायत्त निकाय है और भारतीय राजमार्ग अभियंता अकादमी, जो कि एक सोसायटी है। इन दोनों संगठनों ने सूचना का अधिकार अधिनियम में यथा निर्देशित सूचना आवेदकों/जनता को प्रदान करने के लिए अपने अलग–अलग जन सूचना अधिकारी/सहायक जन सूचना अधिकारी/अपीलीय प्राधिकारी नियुक्त किए हैं। इस मंत्रालय को मोटर यान अधिनियम, सड़क परिवहन, राष्ट्रीय राजमार्ग, फ्लाइओवर, पुल, टोल प्लाजा, प्रयोक्ता शुल्क के संग्रहण, पेट्रोल पंपों की स्थापना, टेण्डर आदि से संबंधित आरटीआई आवेदन पत्र प्राप्त होते रहे हैं । संबंधित जन सूचना अधिकारियों द्वारा इन सब का तत्परता से उत्तर दिया जा रहा है । दिसंबर, 2012 तक, 854 आरटीआई आवेदन पत्र प्राप्त हुए। अन्य मंत्रालयों/विभागों से संबंधित अनेक आवेदन पत्रों को संबंधित मंत्रालयों/विभागों में स्थानांतरित किए जाने के अलावा सभी आवेदन पत्रों और अपीलों का निपटान किया गया।

रारा–8 जयपुर बाईपास

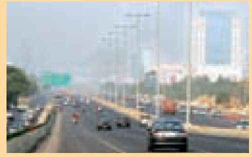

अध्याय-IX

राजभाषा नीति का कार्यान्वयन

कार्यान्वयन व्यवस्था

9.1 सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के हिन्दी अनुभाग में दो उप–निदेशक (राजभाषा), सहायक निदेशक (राजभाषा) और अन्य सहायक कर्मचारी हैं । राजभाषा नीति और वार्षिक कार्यक्रम के कार्यान्वयन की निगरानी के अतिरिक्त हिन्दी अनुभाग, मंत्रालय के विभिन्न अनुभागों/प्रभागों से प्राप्त सामग्री का अंग्रेजी से हिन्दी और हिन्दी से अंग्रेजी में अनुवाद करता है।

हिन्दी सलाहकार समिति

9.2 मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति का पुनर्गठन 16 जनवरी, 2012 के संकल्प संख्या ई–11013/6/2009–हिंदी के अंतर्गत किया गया । समिति की पहली बैठक 08 फरवरी, 2012 को आयोजित की गई थी और दूसरी बैठक 12.02.2012 को चंडीगढ़ में माननीय राज्य मंत्री (सड़क परिवहन और राजमार्ग) डॉ. तुषार ए. चौधरी की अध्यक्षता में आयोजित की गई ।

राजभाषा कार्यान्वयन समिति

9.3 सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में संयुक्त सचिव (परिवहन) की अध्यक्षता में राजभाषा कार्यान्वयन समिति गठित है । राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें 26 जून, 2012 तथा 21 सितम्बर, 2012 को हुई । सरकारी कामकाज में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग के संबंध में मंत्रालय के अनुभागों/प्रभागों और इसके अधीन आने वाले कार्यालयों से प्राप्त तिमाही हिन्दी प्रगति रिर्पोटों की समीक्षा इन बैठकों में की गई और सरकारी कामकाज में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ाने के उपाय सुझाए गए ।

राजभाषा अधिनियम, 1963 (यथा संशोधित 1967) की धारा 3 (3) का अनुपालन और हिन्दी में पत्राचार

9.4 राजभाषा अधिनियम, 1963 (यथा संशोधित 1967) की धारा 3 (3) के प्रावधानों के अनुपालन में इस धारा के अधीन आने वाले सभी दस्तावेज द्विभाषी रूप में जारी किए जा रहे हैं ।

9.5 हिन्दी में प्राप्त सभी पत्रों अर्थात् हिन्दी में लिखे अथवा हिन्दी में हस्ताक्षरित सभी पत्रों के उत्तर हिन्दी में दिए गए चाहे वे किसी भी क्षेत्र से आए हों ।

9.6 'क' और 'ख' क्षेत्रों में केन्द्र सरकार राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के कार्यालयों और आम जनता के साथ हिन्दी में पत्राचार बढ़ाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं ।

हिन्दी का प्रयोग बढ़ाने के लिए किए गए विशिष्ट उपाय

हिन्दी भाषा/हिन्दी टंकण और हिन्दी आशुलिपि का प्रशिक्षण

9.7 कुल 23 टंककों (लिपिकों) में से 15 लिपिक हिन्दी टंकण में प्रशिक्षित हैं और कुल 100 आशुलिपिकों में से 89 आशुलिपिक हिन्दी आशुलिपि में प्रशिक्षित हैं ।

नकद पुरस्कार और प्रोत्साहन योजना

9.8 मंत्रालय में, अधिकारियों और कर्मचारियों को अपना कामकाज हिन्दी में करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु एक प्रोत्साहन योजना चलाई जा रही है । इस योजना में हिन्दी में टिप्पण और आलेखन करने वालों को नकद पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं।

हिन्दी दिवस और हिन्दी पखवाड़े का आयोजन

9.9 हिन्दी दिवस के अवसर पर 14 सितंबर, 2012 को सरकारी कामकाज में हिन्दी का प्रयोग बढ़ाने के लिए माननीय गृह मंत्री द्वारा जारी की गई अपील, मंत्रालय के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के अवलोकनार्थ परिचालित की गई । 10 सितंबर, 2012 से 24 सितंबर, 2012 तक हिन्दी पखवाड़ा मनाया गया । इस दौरान हिन्दी निबंध प्रतियोगिता, विभागीय ज्ञान प्रतियोगिता, हिन्दी टिप्पण–आलेखन प्रतियोगिता, सामान्य पत्र लेखन प्रतियोगिता, हिन्दी टंकण प्रतियोगिता, हिंदी काव्य पाठ प्रतियोगिता और आशु भाषण प्रतियोगिता जैसी प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं । इनमें से कुछ प्रतियोगिताएं मंत्रालय के हिन्दी भाषी और हिन्दी इतर भाषी कार्मिकों के लिए अलग–अलग आयोजित की गईं । मंत्रालय में दिनांक 20.09.2012 और 24.09.2012 को दो कार्यशालाएं क्रमशः 'सरकारी कामकाज हिंदी में कैसे करें' और 'कंप्यूटर पर हिन्दी में काम कैसे करें' भी आयोजित की गईं । सचिव, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने दिनांक 27 सितंबर, 2012 को मंत्रालय में आयोजित पुरस्कार वितरण समारोह में पुरस्कार विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए । इस वर्ष हिन्दी पखवाड़े के दौरान कुल मिलाकर 139 अधिकारियों/कर्मचारियों ने प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया ।

सूचना प्रौद्योगिकी को बढ़ावा

9.10 मंत्रालय में संपूर्ण हिन्दी टंकण कार्य कंप्यूटरों पर किया जाता है । कार्य को दक्षता और तीव्रता से करने के लिए कंप्यूटरों में हिन्दी के नवीनतम सॉफ्टवेयर लगाए गए हैं ।

निरीक्षण और निगरानी

9.11 राजभाषा विभाग द्वारा जारी किए गए वार्षिक कार्यक्रम 2012–13 में निर्धारित दिशा–निर्देशों के अनुसार सरकारी कामकाज में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ाने में हुई प्रगति का आकलन करने, राजभाषा नीति के अनुपालन और वार्षिक कार्यक्रम के क्रियान्वयन की दृष्टि से हिन्दी अनुभाग की ओर से निरीक्षण किए गए । वर्ष के दौरान मंत्रालय के 10 अनुभागों का निरीक्षण भी किया गया । इस निरीक्षण के दौरान सरकारी कामकाज में हिन्दी के प्रयोग के स्थिति की समीक्षा की गई और उनके दैनिक कामकाज में हिन्दी का प्रयोग बढ़ाने के लिए उपाय सुझाए गए ।

मूल रूप से हिन्दी में पुस्तक लेखन के लिए प्रोत्साहन योजना

9.12 सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के कार्य क्षेत्र में आने वाले विषयों पर हिन्दी में मौलिक पुस्तक लेखन को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2005–06 में एक प्रोत्साहन योजना लागू की गई थी । वर्ष 2010 के लिए चयनित दो पांडुलिपियों का मूल्यांकन करा लिया गया है और पुरस्कार निर्धारण समिति द्वारा पुरस्कारों का निर्धारण किए जाने की प्रक्रिया चल रही है ।

हिन्दी सलाहकार समिति की दूसरी बैठक

रारा–5, तुनी–अंकापल्ली खंड, तमिलनाडु

अध्याय-X

निःशक्त व्यक्ति अधिनियम, 1995 का कार्यान्वयन

10.1 सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 के उपबंधों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए गंभीर प्रयास कर रहा है । चुने गए/नामित निःशक्त व्यक्तियों को उनके लिए आरक्षित रिक्त पदों पर नियुक्त किया जाता है और उन्हें कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के वर्तमान निर्देशों के अनुसार अनारक्षित रिक्त पदों पर भी समायोजित किया जाता है । अपंग व्यक्तियों की संख्या के संबंध में तकनीकी और गैर–तकनीकी पदों के संबंध में 31 दिसंबर, 2012 के अनुसार स्थिति परिशिष्ट–13 पर दी गई है ।

दर्गापुर एक्सप्रेसवे

अध्याय-XI

परिवहन अनुसंधान पक्ष

11.1 परिवहन अनुसंधान पक्ष एक नोडल एजेंसी है जो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के विभिन्न प्रभागों को अनुसंधान सूचना, विश्लेषण तथा डाटा सहायता प्रदान करती है । इसके अतिरिक्त, यह पक्ष, सड़क परिवहन क्षेत्र के नीति नियोजन, समन्वय और कार्य निष्पादन के मूल्यांकन में सहायता प्रदान करता है ।

11.2 परिवहन अनुसंधान पक्ष, सड़कों, सड़क परिवहन और सड़क दुर्घटनाओं से संबंधित डाटा का संग्रहण, संकलन, प्रसार और विश्लेषण करता है। इसके लिए यह पक्ष, विभिन्न स्रोतों अर्थात् केंद्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों/राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों और सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र की एजेंसियों से डाटा एकत्रित करता है । विविध स्रोतों से प्राप्त सूचना की जांच सुसंगति तथा तुलनीयता की दृष्टि से की जाती है और उसकी अभिपुष्टि की जाती है तथा परिवहन क्षेत्र के महत्वपूर्ण पहलुओं को शामिल करते हुए तिमाही और वार्षिक प्रकाशनों में समेकित की जाती है । परिहवन अनुसंधान पक्ष डाटाबेस बनाने और उसे सुदृढ़ करने, डाटा अंतरालों का पता लगाने तथा सड़क परिवहन और राजमार्ग के क्षेत्र में डाटा की विश्वसनीयता और विशुद्धता में सुधार लाने के लिए उपाय करता है । इस संबंध में परिवहन अनुसंधान पक्ष ने सड़क और सड़क परिवहन के बारे में स्रोत एजेंसियों से प्राप्त सभी डाटा सामग्री, ऑनलाइन उपलब्ध कराने के लिए कार्य शुरू कर दिया है ।

11.3 परिवहन अनुसंधान पक्ष, 'सड़क परिवहन वार्षिकी' का प्रकाशन करता है जिसमें मोटर परिवहन के अलग–अलग मापदण्डों के बारे में डाटा दिया गया होता है । 'सड़क परिवहन वार्षिकी 2010–11' के नवीनतम अंक का प्रकाशन जुलाई, 2012 में किया गया है । इस प्रकाशन के अगले अंक के लिए सामग्री संकलित की जा रही है जिसमें वर्ष 2012–13 के संबंध में सूचना दी जाएगी ।

11.4 परिवहन अनुसंधान पक्ष, राज्य सड़क परिवहन उपक्रमों के कार्य निष्पादन के आकलन और उस पर निगरानी रखने के लिए, राज्य सड़क परिवहन उपक्रमों के वास्तविक और वित्तीय मापदंडों से संबंधित आंकड़ों का संग्रहण, संकलन और विश्लेषण करता है । यह सूचना, 'राज्य सड़क परिवहन उपक्रमों के कार्य निष्पादन की समीक्षा' में प्रकाशित की जाती है । 'राज्य सड़क परिवहन उपक्रमों के कार्य निष्पादन–यात्री सेवाओं की समीक्षा– (अप्रैल, 2011–मार्च, 2012)' का प्रकाशन नवंबर, 2012 में किया गया ।

11.5 भारत का "बेसिक रोड स्टेटिस्टिक्स" एक अग्रणी राष्ट्रीय प्रकाशन है जो देश में सड़क नेटवर्क पर व्यापक जानकारी प्रदान करता है । इस प्रकाशन के लिए केन्द्र, राज्यों और स्थानीय स्तरों पर फैली लगभग 280 स्रोत एजेंसियों से डाटा एकत्र किया जाता है । परिवहन अनुसंधान प्रभाग द्वारा इस प्रकार एकत्र डाटा का फिर मिलान, समेकन और विश्लेषण किया जाता है । बेसिक रोड स्टेटिस्टिक्स के नवीनतम अंक में वर्ष 2008–09 से लेकर वर्ष 2010–11 तक के आंकड़े शामिल हैं जिसको जुलाई, 2012 में जारी किया गया । बेसिक रोड

स्टेटिस्टिक्स के अगले अंक में सड़कों के बारे में वर्ष 2011–12 की सूचना शामिल है और इसका संकलन किया जा रहा है ।

11.6 देश के दुर्घटना सूचना डाटा सिस्टम में सुधार के लिए, यूनेस्केप द्वारा प्रायोजित एशिया पेसिफिक रोड एक्सीडेंट डाटाबेस/भारतीय सड़क दुर्घटना डाटाबेस (एपीआरएडी/आईआरएडी) परियोजना चल रही है । इस परियोजना के लिए, देश के सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों और 39 मिलियन प्लस शहरों के सड़क दुर्घटनाओं से संबंधित आंकड़ों का, विशेष रूप से तैयार किए गए 19 मद वाले फार्मेट में संग्रहण, संकलन और मिलान किया जाता है । परिवहन अनुसंधान विंग में, 19 मद वाले फॉर्मेट में एकत्र किए गए डाटा के आधार पर भारत में दुर्घटनाओं का विस्तार से विश्लेषण और समीक्षा की जाती है । 'भारत में सड़क दुर्घटनाएं : 2011' का नवीनतम अंक, परिवहन अनुसंधान प्रभाग द्वारा जून, 2012 में निकाला गया । 'भारत में सड़क दुर्घटना 2012' के अगले अंक का संकलन किया जा रहा है ।

11.7 माननीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री की अध्यक्षता में 13 फरवरी, 2012 को आयोजित परिवहन विकास परिषद् की 34वीं बैठक के दौरान, मोटर वाहन करों को तर्कसंगत बनाने के मुद्दे पर राज्यों के परिवहन मंत्रियों की अधिकार प्राप्त समिति का गठन करने का निर्णय लिया गया था । राज्यों के परिवहन मंत्रियों की अधिकार प्राप्त समिति के कार्य को सुकर बनाने के लिए, अधिकारियों की एक समिति का भी गठन किया गया है । सलाहकर, परिवहन अनुसंधान पक्ष को समिति के संयोजक के रूप में नामित किया गया था । परिवहन अनुसंधान पक्ष ने मोटर वाहन करों को तर्कसंगत बनाने के संबंध में बैठक आयोजित करने के लिए नोडल कार्यालय के रूप में कार्य किया ।

11.8 परिवहन अनुसंधान पक्ष, मंत्रालय की सहायता के लिए परिवहन से जुड़े ऐसे शोध अध्ययनों पर भी अपनी तकनीकी टिप्पणी देता है जो नीति निर्माण के लिए उपयोगी हों । सड़क परिवहन क्षेत्र में शोध अध्ययनों के चयन में तकनीकी सलाहकार का काम भी परिवहन अनुसंधान पक्ष करता है ।

11.9 परिवहन अनुसंधान पक्ष द्वारा संकलित आंकड़ों से स्पष्ट, भारत में सड़क एवं सड़क परिवहन क्षेत्र की कुछ मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:–

- वर्ष 2001 और 2011 के बीच पंजीकृत वाहनों की कुल संख्या में लगभग 9.9% की संयुक्त वार्षिक वृद्धि दर देखी गई ।
- 31 मार्च, 2011 की स्थिति के अनुसार, भारत में लगभग 142 मिलियन वाहन पंजीकृत थे । इनमें से सबसे बड़ी संख्या 101.8 मिलियन से अधिक (लगभग 72% हिस्सा) दुपहिया वाहनों की थी । परिशिष्ट 14
- कलैंडर वर्ष 2011 के दौरान, 4,97,686 सड़क दुर्घटनाओं की रिपोर्ट प्राप्त हुई जो पिछले वर्ष में रिपोर्ट की गई 4,99,628 सड़क दुर्घटनाओं की तुलना में 0.4% कम थी ।

- वर्ष 2011 के दौरान, सड़क दुर्घटनाओं में घायल हुए और मरने वालों की संख्या, क्रमशः 5,11,394 और 1,42,485 थी । परिशिष्ट 15
- वर्ष 2003–04 से 2011–12 के दौरान मुख्य वित्तीय एवं भौतिक मानदंडों के अनुसार राज्य सड़क परिवहन उपक्रमों का कार्य निष्पादन परिशिष्ट 16 पर देखा जा सकता है ।
- वर्ष 1950–51 से वर्ष 2010–11 के दौरान सड़क लंबाई (कुल और पक्की) का श्रेणीवार ब्यौरा परिशिष्ट 17 पर दिया गया है।

रारा–7 नागपुर, हैदराबाद खंड

अध्याय-XII

अंतर्राष्ट्रीय सहयोग

12.1 पारस्परिकता, समानता और परस्पर लाभ के आधार पर, अन्य देशों के साथ द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने के प्रति हमारे प्रयास में, अंतर–राष्ट्रीय सहयोग प्रभाग वर्ष 2012–13 के दौरान विभिन्न द्विपक्षीय और क्षेत्रीय स्तर कार्यकलापों में कार्यरत रहा ।

12.2 अन्य देशों के साथ हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन (एमओयू)/करार

यह मंत्रालय विकासशील और विकसित देशों के साथ बातचीत में लगा हुआ है । इस बात पर विचार करते हुए कि एक औपचारिक लिखित दस्तावेज जैसे दो सरकारों के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन, व्यापार और निवेश शुरू करने के लिए निष्पादक एजेंसियों, व्यावसायिकों और निजी क्षेत्र को जानी गई सरकारी सहायता और विश्वसनीयता का एहसास प्रदान करता है, सहयोग के औपचारिक ढांचे को तैयार करने के लिए नीति निर्माण के उच्चतर स्तरों पर पहल शुरू करने और बैठकों के प्रबंध पर ध्यान केन्द्रित करने के लिए प्रयास किए गए । परिणाम–स्वरूप, निम्नलिखित समझौता ज्ञापनों/करारों पर हस्ताक्षर किए गए:

क) अवसंरचना विकास, सड़कों के प्रचालन और अनुरक्षण तथा कुशल परिवहन प्रणाली के क्षेत्रों में ज्ञान और तकनीकी विशेषज्ञता की हिस्सेदारी और आदान–प्रदान को सुकर बनाने के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार और परिवहन, अवसंरचना और संचार मंत्रालय, कनाडा सरकार के बीच 11 जून, 2012 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे ।

ख) 'सड़क अवसंरचना और सड़क परिवहन प्रौद्योगिकी पर द्विपक्षीय सहयोग के लिए दो देशों के बीच प्रौद्योगिकी सहयोग हेतु 18 अक्टूबर, 2012 को माननीय मंत्री (सड़क परिवहन और राजमार्ग) और आस्ट्रियन फेडरल मंत्री द्वारा एक संयुक्त आशय विवरण पर हस्ताक्षर किए गए थे ।

ग) सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार और लोक निर्माण और परिवहन मंत्रालय, किंगडम ऑफ स्पेन के बीच 26 अक्टूबर, 2012 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे । इस समझौता ज्ञापन का प्रभावी और पर्यावरणीय दीर्घकालिक परिवहन प्रणालियों को प्रोत्साहन देने सड़क अवसरंचना, सड़कों के निर्माण, अनुरक्षण और प्रबंधन के क्षेत्रों में तकनीकी और वैज्ञानिक सहयोग को संस्थागत बनाना है ।

12.3 अन्य देशों के साथ द्विपक्षीय सहयोग सुदृढ़ीकरण

क्षेत्र में पड़ोसी देशों और वैश्विक रूप से भी संबंध सुदृढ़ीकरण पर ध्यान केन्द्रित करते हुए, इस मंत्रालय ने अन्य देशों के साथ आदान–प्रदान और संचार के लिए सतत् प्रयास किए हैं । क्षेत्र में परिवहन संपर्क

और जन–जन संपर्क के महत्व के देखते हुए, इस मंत्रालय ने परिवहन संपर्क के लिए आसियान मास्टर प्लान और आसियान–इंडिया एक्श्न प्लान 2010–15 के कार्यान्वयन में नेतृत्व भूमिका ली है । सार्क और दक्षिण एशिया उप–क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग (एसएएसईसी) जैसे क्षेत्रीय स्तर के मंचों का अग्रणी सदस्य देश है ।

भारत ने जुलाई के प्रारंभ में भूतल परिवहन कार्यकारी समूह बैठक में आसियान के साथ विचार–विमर्श शुरू किया । भारत – म्यांमार – थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्गों के अलावा बहुत विचार और संभावनाएं हैं जहां भारत ने म्यांमार के अनुरोध पर हाल ही में अतिरिक्त प्रतिबद्धताएं ली हैं । आसियान सदस्य देशों ने त्रिपक्षीय राजमार्ग को लाओ पीडीआर, कंबोडिया और वियतनाम तक बढ़ाने का अनुरोध किया है और आसियान सदस्य देशों द्वारा भारत – म्यांमार – लाओ – वियतनाम – कंबोडिया को जोड़ने के लिए नए राजमार्ग के लिए प्रस्ताव भी प्रस्तुत किया। इस मंत्रालय के अंतर्गत गठित अंतर्मंत्रालयी समूह इस दिशा में एक समंवित और समग्र रूप से कार्रवाई सुनिश्चित करता है । इस संदर्भ में शुरू किए गए कतिपय कार्यकलाप इस प्रकार हैं :

(i) 'इम्फाल – मंडले के बीच एक यात्री बस सेवा की शुरूआत' के लिए एक समझौता ज्ञापन के प्रस्ताव के संबंध में द्विपक्षीय वार्ता के लिए सितंबर, 2012 में मंत्रालय का एक प्रतिनिधि मंडल म्यांमार गया था ।

(ii) माननीय मंत्री (सड़क परिवहन और राजमार्ग) ने 'ट्रांसपोर्टेशन इन ट्रांजिशन टूवर्डस ए न्यू डिजिटल इकोनॉमी' के 15वें वार्षिक सम्मेलन में भाग लेने के लिए जून, 2012 में कनाडा का दौरा किया।

(iii) माननीय राज्य मंत्री, श्री जितिन प्रसाद की अध्यक्षता में एक प्रतिनिधि मंडल ने जापान में राजमार्गों, एक्सप्रेसमार्गों के अनुभव, विशेषज्ञता और उन्नत प्रौद्योगिकी की समीक्षा, हिस्सेदारी और आदान–प्रदान करने के लिए जुलाई, 2012 में दौरा किया ।

(iv) वर्ष 2012–13 के दौरान, मंत्रालय में विभिन्न देशों से मंत्रालयी स्तर प्रतिनिधि मंडल आए:–

(क) कार्य, आर्किटेक्ट, मंत्री, माइक ओनोलेमेमेन की अध्यक्षता में एक नाइजीरियन प्रतिनिधि मंढल ने भारत की सड़क नीति पर सूचना एकत्रित करने, कार्यान्वयन नीति सीखने, सड़क क्षेत्र सुधारों और सड़कों के प्रबंधन पर सूचना साझा करने के उद्देश्य से भारत का दौरा किया ।

(ख) माननीय मंत्री (सड़क परिवहन और राजमार्ग) को रिपब्लिक ऑफ स्विटजरलैंड से सुश्री डोरिस ल्यूथार्ड की अध्यक्षता वाला एक प्रतिनिधि मंडल भी मिला । दोनों नेता दोनों देशों के

बीच संबंधों के प्रोत्साहन और विकास के लिए सहमत हुए विशेषकर तकनीकी सहयोग करार करने और सड़क अवसंरचना के संबंध में प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण के प्रयोजन के साथ कंसलटेंसी उद्योग और इंजीनियरिंग कंपनियों में ।

(ग) जापानी विदेश मंत्री श्री कोइचिरो गेंबा ने अप्रैल, 2012 में भारत का दौरा किया और 6ठां जापान– भारत विदेश मंत्री सामरिक वार्ता और प्रथम जापान – भारत मंत्रालयी स्तर आर्थिक वार्ता आयोजित की । दोनों पक्षों ने दिल्ली – मुंबई औद्योगिक महामार्ग (डीएमआईसी), चेन्नै – बंगलौर क्षेत्र के विस्तृत एकीकृत मास्टर प्लान, पश्चिमी समर्पित मालवाहक महामार्ग (डीएफसी) पर विचार–विमर्श किया । वरिष्ठ उप मंत्री भूमि, अवसंरचना, परिवहन व पर्यटन, जापान श्री केन ओकुडा के नितृत्व वाला एक प्रतिनिधि मंडल ने श्री जितिन प्रसाद, राज्य मंत्री से मई, 2012 में मुलाकात की । बैठक में पिछले वर्ष प्रधानमंत्री स्तर की बैठक जिसमें दो देशों के बीच अवसंरचना विकास और सहयोग विशेषकर सड़क क्षेत्र पर ध्यान पर सीमति हुई थी, के अनुसरण में सहयोग को बढ़ाने की आवश्यकता पर निर्णय लिया गया । ये दौरे महत्वपूर्ण थे क्योंकि यह मंत्रालय दोनों देशों के बीच हस्ताक्षरित व्यापक आर्थिक सहभागिता समझौता (सीसीपीए) को को कार्यान्वित करने की प्रक्रिया में हैं । सहयोग का फ्रेमवर्क सड़क क्षेत्र में व्यापक आर्थिक सहभागिता समझौता (सीसीपीए) के कार्यान्वयन को समर्थ बनाएगा और सड़क, सड़क परिवहन प्रबंधन प्रणाली और कुशल परिवहन प्रणाली सहित सड़क परिवहन और राजमार्ग क्षेत्र में तकनीकी ज्ञान और विशेषज्ञता के आदान–प्रदान को सुकर बनाएगा ।

(घ) इसी प्रकार, आस्ट्रिया, ओमान और मोजाम्बिक के प्रतिनिधि मंडलों ने भी वर्ष 2012 में दौरा किया। उपयुक्त स्तरों पर मंत्रालय और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण में दौरा करने वाले प्रतिनिधि मंडलों की आवश्यकता पर ध्यान देने के लिए बैठकों, कार्यशालाओं और स्थल दौरों का प्रबंध किया गया ।

(ड.) यह उल्लेख करना महतवपूर्ण है कि कई विदेशी कंपनियां, व्यक्तगत रूप से अथवा संयुक्त उद्यम कंजोर्टियम अथवा एसपीवी सहभागिता के माध्यम से भारत के राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना में ठेकेदार/विकासकर्ताओं, वित्त प्रबंधकों और पर्यवेक्षण परामर्शदाताओं के रूप में भाग ले रही हैं ।

12.4 क्षेत्रीय स्तर सहयोगः

12.4.1 भारत, दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्र संघ (आसियान), दक्षिण पूर्वी एशियाई सहयोग संघ (सार्क) बहु–क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल

(बीआईएमएसटीईसी) जैसे क्षेत्रीय स्तर फोरमों के लिए एक मुख्य सदस्य राष्ट्र है । अंतर–राज्य आवागमन और सीमा–पार आवागमन के लिए एक समेकित तरीके से मुद्दों के समाधान में समर्थ करने के लिए बांगलादेश, म्यांमार, नेपाल, भूटान जैसे पड़ोसी देशों के साथ द्विपक्षीय संपर्क प्रस्तावों सहित विभिन्न मंचों पर आसियान परिवहन संपर्क और अन्य संबंधित मुद्दों से संबंधित विषयों पर विचार–विमर्श करने के लिए एक केन्द्रीय अंतर्मंत्रालयी समूह जिसमें अन्यों के साथ–साथ केन्द्रीय मंत्रालयों और पूर्वोत्तर राज्यों के प्रतिनिधि

सम्मिलित हैं, का गठन किया गया है । भारत, सभी सार्क राष्ट्रों के बीच संपर्क प्रदान करने के लिए प्रस्तावित सार्क मोटर यान करार को अंतिम रूप देने के लिए भी प्रतिनिधित्व कर रहा है और अंशदान दे रहा है । बांगलादेश के साथ द्विपक्षीय जन–जन संपर्क के लिए एक समान छत्र ढांचा प्रदान करने के लिए भारत – बांगलादेश मोटर यान और कार्गो यातायात पर एक व्यापक करार भी विचाराधीन है । इस मंत्रालय ने पूर्वोत्तर राज्यों में अंतर–राज्य नोडल समिति का भी गठन किया है। भारत – बांगलादेश मोटर यान और कार्गो यातायात पर प्रस्तावित व्यापक करार के लिए प्रोटोकोल का मसौदा तैयार करने के लिए अंतर–राज्य नोडल समिति (आईएसटीएनसी) की रिपोर्ट मूल्यवान है ।

12.4.2 इस मंत्रालय ने एक केन्द्रीय अंतर्मंत्रालयी प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया और विइनटिएन लाओ पीडीआर में आयोजित 21वीं बैठक में बातचीत साझीदार के रूप में भाग लिया । भारत तथा आसियान के बीच बातचीत साझीदारी की 20वीं वार्षिक जयंती के संबंध में राज्य मंत्री श्री सर्वे सत्यनारायण के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल आसियान कार रैली, 2012 में झंडा दिखाने के लिए और संबंधित घटनाओं के लिए नवंबर, 2012 में आसियान–भारत संपर्क संबंधी स्मृति संबंधी घटनाओं के लिए म्यांमार गया ।

12.4.3 यह मंत्रालय आसियान सदस्य राष्ट्रों और भारत – म्यांमार–थाइलैंउ को जोड़ने वाले त्रिपक्षीय राजमार्ग के निष्पादक भाग, म्यांमार में बहु–मॉडल परियोजना आदि के लिए अपेक्षित तकनीकी सहायता भी प्रदान कर रहा है । इसके अलावा, मई, 2012 में हमारे प्रधानमंत्री के म्यांमार दौरे पर दोनों प्रधानमंत्रियों द्वारा जारी किए गए संयुक्त बयान के अनुसरण में, यह मंत्रालय प्रसतावित इम्फाल – मंडले बस सेवा के मार्ग पर म्यांमार में कलेवा – यागवी खंड के लिए डीपीआर तैयार करने और परियोजना कार्यान्वयन के लिए म्यांमार को तकनीकी सहायता प्रदान कर रहा है । द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ाने और भारत की क्षमता की कैपिटाइजेशन के लिए, यह मंत्रालय जापान, कोरिया, चीन, इंडोनेशिया, आस्ट्रिया, अफगानिस्तान और तजाकिस्तान के साथ सहयोग की औपचारिक रूपरेखा के लिए बातचीत में लगा हुआ है।

Dharmavaram - Tuni Section of NH-5

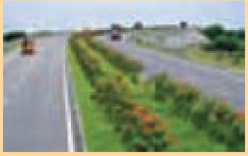

परिशिष्ट–1

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
कार्य आबंटन

I. निम्नलिखित विषय जो भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची 1 के भीतर आते हैं:

1. मोटर वाहनों का अनिवार्य बीमा ।

2. सड़क परिवहन निगम अधिनियम, 1950 (1950 का 64) का संचालन ।

3. ऐसे राजमार्ग जिन्हें संसद द्वारा बनाई गई विधि द्वारा या उसके अधीन राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया गया है ।

4. विधायी विभाग की जांच और विधीक्षा किए बिना राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 और 3A के खंड (a), 3डी, 7 और धारा 8ए के अंतर्गत अधिसूचनाओं को जारी करना ।

II. संघ राज्य क्षेत्रों के संबंध में:

5. राष्ट्रीय राजमार्गों से इतर सड़कें ।

6. मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) का संचालन और मोटर वाहनों का कराधान ।

7. यांत्रिक रूप से सुसज्जित वाहनों से इतर वाहन ।

III. अन्य विषय जो पूर्व भागों के अंतर्गत सम्मिलित नहीं किए गए हैं:

8. केन्द्रीय सड़क निधि ।

9. सड़क कार्यों से संबंधित समन्वय और अनुसंधान ।

10. केन्द्रीय सरकार द्वारा संपूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से वित्त पोषित सड़क कार्य पूर्वोत्तर क्षेत्र में सड़क कार्यों के अलावा ।

11. मोटर यान विधान

12. मोटर परिवहन और आंतरिक जल परिवहन के क्षेत्र में परिवहन सहकारी समितियों को प्रोत्साहन ।

13. सड़कों के अवसंरचना क्षेत्रों में निजीकरण नीति को तैयार करना ।

IV. स्वायत्त निकाय:

14. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

V. सोसायटी/संघ:

15. राष्ट्रीय राजमार्ग अभियंता प्रशिक्षण संस्थान

VI. सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम:

16. भारतीय सड़क निर्माण निगम

Vii. अधिनियम:

17. सड़क परिवहन निगम अधिनियम, 1950 (1950 का 64) ।

18. राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) ।

19. मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) ।

20. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) ।

परिशिष्ट–2

सड़क परिवहन और राज मार्ग मंत्रालय का संगठनात्मक चार्ट

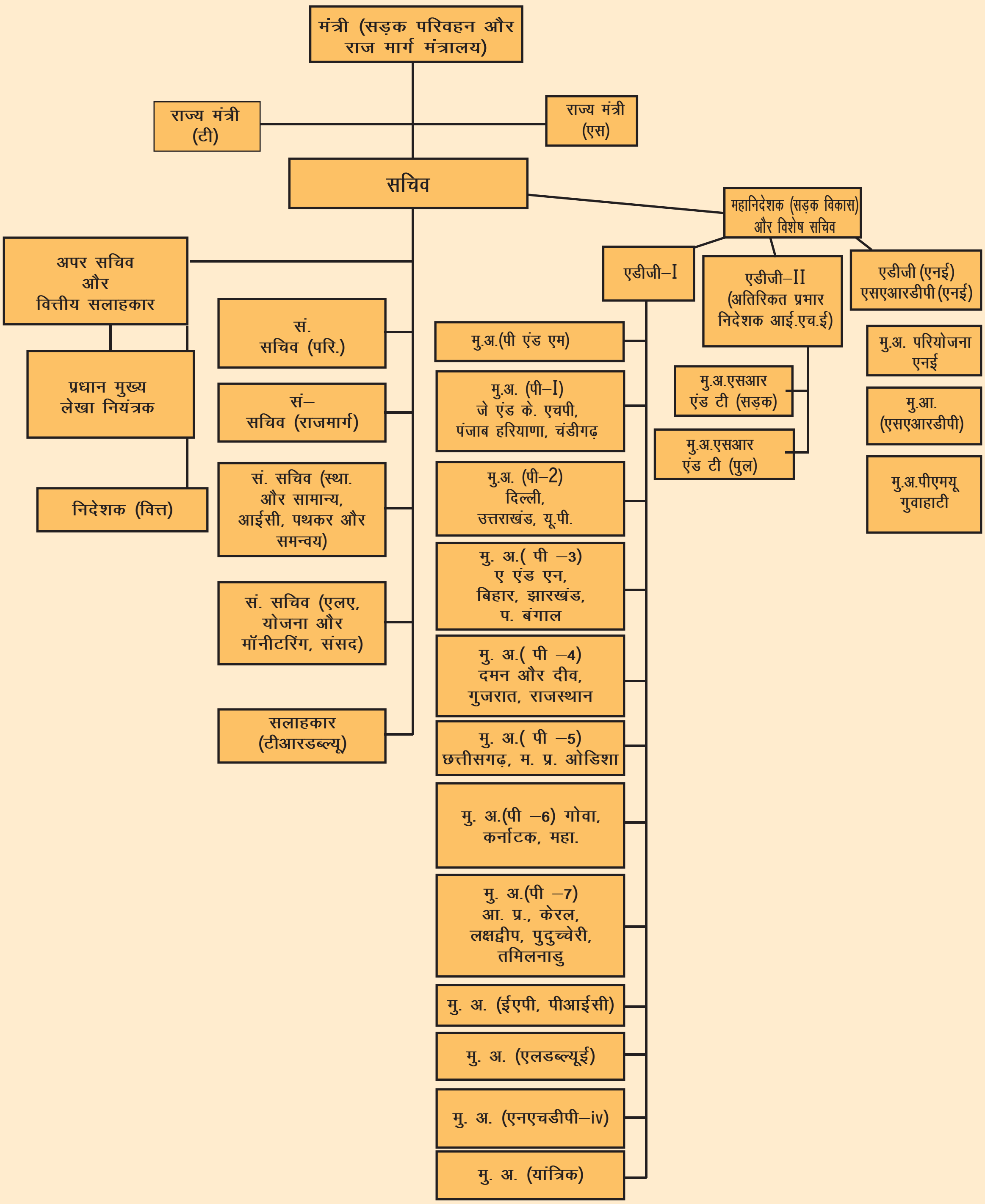

परिशिष्ट–3

देश में राज्यवार राष्ट्रीय राजमार्गों की सूची

क्र. सं.	राज्य का नाम	राष्ट्रीय राजमार्ग सं.	कुल लंबाई (कि.मी.)
1	आंध्र प्रदेश	4, 5, 7, 9, 16, 18, 18ए, 42, 43, 63, 67 विस्तार., 150, 167, 202, 205, 214, 214ए, 219, 221, 222, 234 और 326	5022
2	अरूणाचल प्रदेश	52, 52ए, 153, 229, 52बी विस्तार, 37 विस्तार, और 315ए	2027
3	असम	31, 31बी, 31सी, 36, 37, 37ए, 38, 39, 44, 51, 52, 52ए, 52बी, 53, 54, 61, 62, 127बी, 151,152, 153, 154 और 315ए	2940
4	बिहार	2, 2सी, 19, 28, 28ए, 28बी, 30, 30ए, 31, 57, 57ए, 77, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 98, 99, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 110, 122ए, 131ए, 133, 327ए, 327 विस्तार 333 और 527 सी	4168
5	चंडीगढ़	21	24
6	छत्तीसगढ़	6, 12ए, 16, 43, 78, 200, 202, 216, 217, 111, 221 और 343	2289
7	दिल्ली	1, 2, 8, 10, 24 और 236	80
8	गोआ़	4ए, 17, 17ए और 17बी	269
9	गुजरात	एनएई-I, 6, 8, 8ए, 8बी, 8सी, 8डी, 8ई, 14, 15, 56, 58, 59, 76और, 113 228, 347 & 848	3828
10	हरियाणा	1, 2, 8, 10, 21और , 22, 64, 65, 71, 71और 72, 73, 73ए , 71बी, 236, 709 विस्तार और एनई-II	1633
11	हिमाचल प्रदेश	1ए, 20, 20ए, 21ए, 22, 22ए, 70, 72, 72बी, 88, 73ए और 305	1506

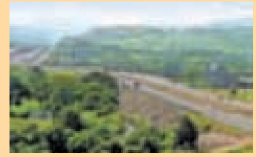

क्र. सं.	राज्य का नाम	राष्ट्रीय राजमार्ग सं.	कुल लंबाई (कि.मी.)
12	जम्मू और कश्मीर	1ए, 1बी, 1सी, 1डी, 301, 501 & 701	1695
13	झारखंड	2, 6, 23, 31, 32, 33, 75, 78, 80, 98, 99, 100, 114ए, 133, 220, 333 और 343	2374
14	कर्नाटका	4, 4ए, 7, 9, 13, 17, 48, 63, 67, 67 नया, 150, 167, 206, 207,209, 212, 218 और 234	4642
15	केरला	17, 47, 47ए, 47सी, 49, 208, 212, 213, और 220	1457
16	मध्य प्रदेश	3, 7, 12, 12ए, 25, 26, 26ए, 26B 27, 56, 59, 59ए, 69, 69ए, 75, 76, 78, 86, 92 और 927ए	5116
17	महाराष्ट्र	3, 3बी, 4, 4बी, 4सी, 6, 7, 8, 9, 13, 16, 17, 26B, 50, 69, 165, 204, 211, 222, 348 और 848	4498
18	मनीपुर	39, 53, 102ए, 102बी, 137, 150, और 155	1317
19	मेघालय	40, 44, 51, 62 और 127बी	1171
20	मिजोरम	44ए, 54, 54ए, 54एबी, 150, 154 और 502ए	1027
21	नागालैंड	36, 39, 61, 150 और 155	494
22	ओडिशा	5, 5ए, 6, 23, 42, 43, 60, 75, 153बी, 157, 200, 201, 203, 203ए, 215, 217, 220, 224 और 326	4416
23	पुदूच्चेरी	45ए और 66	53
24	पंजाब	1, 1ए, 10, 15, 20, 21, 22, 64, 70, 71, 72 & 95	1557

क्र. सं.	राज्य का नाम	राष्ट्रीय राजमार्ग सं.	कुल लंबाई (कि.मी.)
25	राजस्थान	3, 3ए, 8, 11, 11ए, 11बी, 11सी, 12, 14, 15, 65, 65ए, 71बी, 76, 76ए, 76बी, 79, 79ए, 89, 90, 113, 112, 114, 116, 116ए, 158, 162ए, 162 विस्तार, 709 विस्तार और 927ए,	7180
26	सिक्कीम	31ए, और 310	149
27	तमीलनाडू	4, 5, 7, 7ए, 45, 45ए, 45बी, 45सी, 46, 47, 47बी, 49, 66, 67, 68, 205, 207, 208, 209, 210, 219, 220, 226, 226ई, 227, 230, 234 और 532	4943
28	त्रिपुरा	44 और 44ए	400
29	उत्तराखंड	58, 72, 72ए, 72बी,73, 74, 87, 94, 108, 109, 123, 119, 121, 87 विस्तार और 125	2042
30	उत्तर प्रदेश	2, 2ए, 3, 3ए, 7, 11, 12ए, 19, 24, 24ए, 24बी, 25, 25ए, 26, 27, 28, 28बी, 28सी, 29, 56, 56ए, 56बी, 58, 72ए, 73, 74, 75, 76, 86, 87, 91, 91ए, 92, 93 ,96, 97 , 119, 231, 232, 232ए, 233, 235, 330ए, 730, 730ए, 931, 931ए और एनई-II	7818
31	पश्चिम बंगाल	2, 2बी, 2बी विस्तार, 6, 31, 31ए, 31सी, 31डी, 32, 2681 34, 35, 41, 55, 60, 60A, 80, 81, 114बी, 116बी और 117	
32	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	223	300
		जोड़	**79116**

परिशिष्ट–4

सौंपी गई परियोजनाओं का बयौरा

क्र. सं.	खंड	रारा सं.	कुल लंबाई (कि.मी.)	द्वारा वित्तपोषित	टीपीसी /करोड़ रु.	एलओए कंजम	राज्य
1	बदोदरा–सूरत खंड	8	6.00	बीओटी	473.24	अप्रैल-12	गुजरात
2	वालाझपेट–पोन्माली	46	93.00	बीओटी	1287.95	मई-12	तमिलनाडु
3	कायंबटूर–जौनपुर	67	53.93	बीओटी	592.00	जुलाई-12	तमिलनाडु
4	रायबरेली–जौनपुर	231	165.50	वार्षिकी	569.38	जुलाई-12	उत्तर प्रदेश
5	गोवा/कर्नाटक सीमा कुंडापुर	17	187.24	बीओटी	1655.01	जुलाई-12	कर्नाटका
6	वालयार – वडक्कनचेरी	47	54.00	बीओटी	682.00	अगस्त-12	केरला
7	काशीपुर–सितारपुर	74	77.20	बीओटी	605.84	नवंबर-12	उत्तराखंड / उत्तर प्रदेश
8	राजसमंद–गंगापुर भीलवाड़	758	87.25	बीओटी	677.79	नवंबर-12	राजस्थान
9	राजस्थान समी फजेहपुर सालसार खंड	65	154.141	बीओटी	530.07	नवंबर-12	राजस्थान

परिशिष्ट–5

वर्ष 2011–12 के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और अनुरक्षण के लिए विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत राज्य–वार अनंतिम आबंटन का ब्यौरा

(करोड़ रुपये)

क्रसं.	राज्य/संघ राजय क्षेत्र का नाम	विकास		अनुरक्षण
		रारा(मूल)	पीबीएफएफ	
1	आंध्र प्रदेश	189.47	6.89	109.24
2	अरूणाचल प्रदेश	6.00		16.92
3	आसाम	225.22	3.36	100.96
4	बिहार	296.41	27.77	70.47
5	चंडीगढ़	2.80		0.98
6	छतीसगढ़	69.33	11.64	64.54
7	दिल्ली	1.42		0.00
8	गोआ	23.26		9.56
9	गुजरात	139.74	9.19	73.33
10	हरियाणा	56.96		18.09
11	हिमाचल प्रदेश	188.50	0.32	81.15
12	झारखंड	113.64		53.23
13	कर्नाटका	296.27	5.30	116.14
14	केरला	166.58	2.01	38.77
15	मध्य प्रदेश	108.06	25.73	60.85
16	महाराष्ट्रा	211.41	17.02	89.61
17	मणिपुर	61.61	0.27	16.65
18	मेघालय	101.76	1.37	31.09
19	मिजोराम	107.51		42.97

क्रसं.	राजय/संघ राजय क्षेत्र का नाम	विकास		अनुरक्षण
		रारा(मूल)	पीबीएफएफ	
20	नागालैण्ड	85.15		29.86
21	ओडिसा	208.45	6.78	94.86
22	पुदुच्चेरी	8.93		2.66
23	पंजाब	111.26	0.44	36.59
24	राजस्थान	196.79	13.69	123.03
25	तमिलनाडु	180.64		58.21
26	उत्तर प्रदेश	350.67	12.01	117.45
27	उत्तराखंड	80.69	3.31	56.83
28	पश्चिम बंगाल	177.76		52.00
29	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	38.37		8.43

परिशिष्ट–6

केन्द्रीय सड़क निधि के अंतर्गत आबंटन और जारी राशि

वर्ष	2000–01		2001–02		2002–03	
	आबंटन	जारी	आबंटन	जारी	आबंटन	जारी
करोड़ रु.	985.00	332.01	962.03	300.00	980.00	950.28
वर्ष	2003-04		2004-05		2005-06	
	आबंटन	जारी	आबंटन	जारी	आबंटन	जारी
करोड़ रु.	910.76	778.94	868.00	607.40	1535.36	1299.27
वर्ष	2006-07		2007-08		2008-09	
	आबंटन	जारी	आबंटन	जारी	आबंटन	जारी
करोड़ रु.	1535.46	1462.29	1565.32	1322.19	2171.64	2122.00
वर्ष	2009-10		2010-11		2011-12	
	आबंटन	जारी	आबंटन	जारी	आबंटन	जारी
करोड़ रु.	1786.56	1344.98	2714.87	2460.29	2288.65	1927.39
वर्ष	2012-13					
	आबंटन	जारी				
करोड़ रु.	2359.91	1298.35*				

* दिसंबर, 2012 तक

परिशिष्ट–7

सरकारी कर्मचारियों की कुल संख्या और उनमें अनुसूचित जाति और जन जातिओं की संख्याओं को दर्शाने वाला विवरण

समूह	स्वीकृत कार्य बल	तैनत कर्मचारियों की कुल संख्या	अ. जा.	तैनता कुल कर्मचारियों में	अ. ज. जा.	तैनात कुल कर्मचारियों में
		तकनीकी				
क	227	173	28	13	16.18	7.51
ख	81	45	9	4	20.00	8.89
ग	7	5	2	0	40.00	0.00
सी[एमटीएस]	0	0	0	0	0.00	0.00
कुल	315	223	39	17	17.49	7.62
		गैर तकनीकी				
क	65	58	10	5	17.24	8.62
ख	239	203	24	8	11.82	3.94
ग	202	144	31	9	21.53	6.25
सी[एमटीएस]	170	159	61	8	38.36	5.03
कुल	**676**	**564**	**126**	**30**	**22.34**	**5.32**

परिशिष्ट–8

भारत के लेखा और महानियंत्रक की रिपोर्टों का सारांश संघ सरकार – वाणिज्यिक 2011–12 और 2012–13 सीरीज

सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग

लेखापरीक्षा रिपोर्ट संख्या 2012–13 की 8 भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

13.1 प्रमुख पत्तनों के लिए पत्तन सड़क संपर्क के कार्यान्वयन के लिए तैयार किए गए विशेष प्रयोजन वाहनों (एसपीवी) के प्रचालन की समीक्षा

मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने एसपीवी के माध्यम से बीओटी आधार पर देश में प्रमुख पत्तनों को 4 लेन संपर्क प्रदान करने के लिए दिसंबर, 2000 में अनुमोदन प्रदान करते समय, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को मार्च, 2002 तक पीआरसी परियोजनाओं के लिए ठेका देने का निर्देश दिया था । तदनुसार, ये परियोजाएं ठेका सौंपने के 2–3 वर्ष की अवधि के भीतर पूरी कर लिए जाने की संभावना थी । तथापि, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण/एसपीवी ने इन परियोजनाओं के शीघ्र कार्यान्वयन के लिएि कारपोरेट/सामरिक योजना तैयार नहीं की । विकास परियोजनाओं में एसपीवर को तैयार करने और ठेके सौंपने में विलंब देखा गया । परिणामस्वरूप, कोई भी परियोजना पूरा करने की निर्धारित तारीख तक पूरी नहीं की जा सकीं। कुल 9 परियोजनाओं में से अभी तक केवल 4 परियोजनाएं विलंब जो 12 महीने (जेएनपीटी चरण–I) से 53 महीने (कोचीन) के बीच था, के साथ पूरी हुई और शेष 5 परियोजनाएं अभी (दिसंबर, 2011) पूरी की जानी हैं। मरमुगांव और कोचीन पत्तनों पर पत्तन छोर पर क्रमशः 1.8 किमी और 10 किमी के सड़क खंड, इन खंडों की संबंधित डीपीआर सम्मिलित नहीं किए जाने के कारण उन्नयित नहीं किए जा सके । इस प्रकार, मरमुगांव और कोचीन पत्तनों के लिए उन्नयित सड़क संपर्क स्थापित नहीं किया जा सक । इसके अलावा, एसपीवी के अप्रभावी पथकर संग्रहण प्रचालनों की वजह से पथकर संग्रहण या तो विलंबित किया गया अथवा रोका गया तथा एसपीवी को 127.68 करोड़ रु. की राजस्व हानि हुई । पीआरसी परियोजनाओं को पूरा करने में विलंब की वजह से पथकर राजस्व की संभावित हानि 873.85 करोड़ रु. निकाली गई ।

13.2 रियायतग्राहियों से अर्थदंड की गैर–वसूली

रियायतग्राहियों से रियायत करार के अनुसार कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए अर्थदंड वसूल करने में प्रबंधन की असफलता के परिणामस्वरूप 90.30 करोड़ रु. की वसूली नहीं हुई ।

13.3 पथकर प्लाजा के निर्माण में अत्यंत विलंब की वजह से राजस्व की हानि

लेनों की अपेक्षित संख्या सहित सड़क खंड और टोल प्लाजा को पूरा करने में बेमेल के

परिणामस्वरूप 28.38 करोड़ रु. के पथकर राजस्व की परिहार्य हानि हुई (सितंबर, **2011** तक) । प्राधिकरण तब तक प्रति माह 1.75 करोड़ रु. की और आवर्ती हानि होती रहेगी जब तक राजस्व संग्रहण फिरसे आरंभ नहीं हो जाता ।

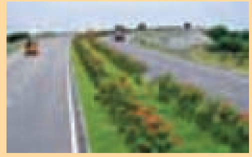

13.4 ब्याज की परिहार्य अदायगी की वजह से नुकसान

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा मुरादाबाद बाइपास के निर्माण, विकास और अनुरक्षण के लिए अपनी सहायक कंपनी के रूप में अगसत, 1998 में मुरादाबाद टोल रोड कंपनी लिमिटेड (कंपनी) बनाई गई थी । अपर्याप्त पथकर संग्रहण और राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के अंतर्गत रारा 524 के मुरादाबाद–बरेली खंड के उन्नयन (जिसमें उक्त बाइपास सम्मिलित हैं) के लिए सरकार के परवर्ती निर्णय की वजह से कंपनी अव्यवहार्य हो गई। उपर्युक्त को देखते हुए, एमटीआरसीएल बोर्ड ने (सितंबर, 2008) कंपनी को बंद करने का निर्णय लिया और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से (दिसंबर, 2008) में एसबीआई/आईडीएफसी के अवधि ऋणों के निपटान के लिए निधियां जारी करने का अनुरोध किया । तथापि, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने कंपनी द्वार यथा–वांदित निधियां जारी करने के लिए अगस्त, 2011 तक अपना निर्णय विलंबित रखा । अंततः कंपनी को उक्त अवधि ऋणों पर ब्याज के प्रति 8.64 करोड़ रु. का अतिरिक्त व्यय वहन करना पड़ा ।

परिशिष्ट–9

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के संबंध में मुख्य शीर्ष–वार व्यय

(₹ करोड़ में)

लेखा शीर्ष	ब.प्रा.	नवंबर, 2012 तक व्यय	% (ब. प्रा.)
योजना शीर्ष			
मु.शी. 3054 सड़कें एवं पुल	16078.91	16060.20	99.88
मु.शी. 3055–सड़क परिवहन	400.00	30.09	7.52
मु.शी.3601– राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	2622.97	1409.46	53.74
मु.शी.3602– संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	97.47	2.79	2.86
कुल राजस्व भाग	19199.35	17502.54	91.16
मु.शी. 4552 पूर्वोत्तर क्षेत्र संबंधी पूंजीगत परिव्यय	2272.00	0.00	0.00
मु.शी. 5054 सड़क एवं पुल संबंधी पूंजीगत परिव्यय	20060.78	12000.62	59.82
मु.शी. 7075– अन्य परिवहन सेवाओं के लिए ऋण	36.00	0.00	0.00
कुल पूंजी भाग	22368.78	12000.62	53.65
कुल योजना शीर्ष (सकल)	41568.13	29503.16	70.98
वसूलियां घटाएं (आयोजन)	16208.22	-9244.28	57.03
कुल आयोजना (निवल)	25359.91	20258.87	79.89
मु.शी. – 3451–सचिवालय– आर्थिक सेवाएं	407.73	253.31	62.13
मु.शी. 3054 सड़कें एवं पुल	2888.28	1262.83	43.72
मु.शी.3601– राज्य सरकारों को सहायता अनुदान (*)	0.00	0.03	0.00
कुल राजस्व भाग	3296.01	1516.17	46.00

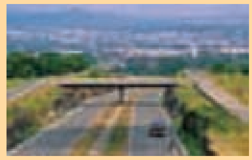

(₹ करोड़ में)

लेखा शीर्ष	ब.प्रा.	नवंबर, 2012 तक व्यय	% (ब. प्रा.)
मु.शी.5054 सड़क एवं पुल संबंधी पूंजी परिव्यय (*)	2282.21	1198.94	52.53
कुल पूंजीगत भाग	2282.21	1198.94	52.53
कुल गैर–आयोजना (सकल)	5578.22	2715.11	48.67
वसूलियां घटाएं (गैर–आयोजना)	-140.01	-44.32	31.66
कुल गैर–आयोजना (निवल)	5438.21	2670.78	49.11
जोड़ (आयोजना+गैर–आयोजना)	47146.35	32218.26	68.34
वसूलियां घटाएं (आयोजना+गैर–आयोजना)	-16348.23	-9288.60	56.82
जोड़ (आयोजना+गैर–आयोजना) निवल	30798.12	22929.66	74.45

(*) दिसंबर, 2012 तक बीआरडीबी के व्यय से संबंधित

परिशिष्ट–10

गत तीन वर्षों की राजस्व प्राप्तियों का शीर्ष–वार ब्यौरा

(₹ करोड़ में)

	मुख्य शीर्ष	2009-2010	2010-11	2011-12
1	0021 – निगम कर के से भिन्न आय पर कर	99.38	108.66	126.53
2	0045 – वस्तुओं एवं सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क	0.00	0.00	
3	0049 – ब्याज की प्राप्तियां	166.84	154.61	136.55
4	0050 – लाभांश एवं लाभ	0.00	0.00	
5	0070 – अन्य प्रशासनिक सेवाएं	0.00	0.00	0.0025
6	0071 – पेंशन और अन्य सेवा निवृत्ति लाभों के संबंध में अंशदान और वसूलियां	0.30	0.32	0.66
7	0075 – विविध सामान्य सेवाएं	1.80	1.55	14.42
8	0210 – चिकित्सा एवं जनस्वास्थ्य	0.19	0.26	0.25
9	0216 – आवास	0.10	0.10	0.16
10	0852 – परिवहन उपस्कर सेवाएं	0.00	0.00	
11	1054 – सड़कें एवं पुल	127.77	2334.59	3047.15
12	1055 – सड़क परिवहन	0.001	1.38	0.06
13	1475 अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	0.08	0.01	0.07
	जोड़	**396.39**	**2601.47**	**3325.85**

(स्रोत : केंद्रीय लेन–देन का विवरण)

परिशिष्ट–11

राजस्व एवं पूंजीगत प्राप्तियों के संदर्भ में पिछले तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय लेन–देन विवरण के अनुसार निधियों के स्रोत

राजस्व प्राप्तियां

(₹ करोड़ में)

मद/वर्ष	2009-2010	2010-11	2011-12
कर राजस्व	99.38	108.65	126.53
गैर–कर राजस्व	297.01	2492.82	3199.32
सकल राजस्व प्राप्तियां	396.39	2601.47	3325.85

परिशिष्ट–12

लेखों के मुख्य बिन्दु

(₹ हजार में)

	प्राप्तियां		संवितरण	
		धनराशि		धनराशि
क.	राजस्व प्राप्तियां		राजस्व व्यय	
1	कर राजस्व	1265292	सामान्य सेवा	1093152
2	गैर–कर राजस्व	31993160	सामाजिक सेवा	12145
	ब्याज प्राप्तियां	1365564	आर्थिक सेवा	161167382
	अन्य गैर–कर राजस्व	30627596	सहायता अनुदान	330200
	कुल गैर–कर राजस्व	**33258452**	**कुल राजस्व व्यय**	**162602879**
ख.	**पूंजीगत प्राप्तियां**		**पूंजीगत व्यय**	
	अन्य परिवहन सेवाओं के लिए ऋण	1366500	आर्थिक सेवा	61788105
	राज्य सरकारों को ऋण तथा अग्रिम	1065260	ऋण तथा अग्रिम	1672
	सरकारी कर्मचारियों को ऋण	6393		
	कुल पूंजीगत प्राप्तियां	**2438153**	**कुल पूंजीगत व्यय**	**61789777**
	भारत की कुल समेकित निधि	35696605	**भारत की कुल समेकित निधि**	224392656
	लोक लेखा		लोक लेखा	
	लघु बचत भविष्य निधि खाता	138542	लघु बचत भविष्य निधि खाता	111934
	भविष्य निधि	137893	भविष्य निधि	110439
	अन्य लेखे	649	अन्य लेखे	1495

(₹ हजार में)

	प्राप्तियां		संवितरण	
		धनराशि		धनराशि
	आरक्षित निधियां	148746900	आरक्षित निधियां	122387011
	ब्याज रहित आरक्षित निधियां	148746900	ब्याज रहित आरक्षित निधियां	
	जमा एवं अग्रिम	15705402	जमा एवं अग्रिम	13950345
	ब्याज युक्त जमा		ब्याज युक्त जमा	0
	ब्याज रहित जमा	15705378	ब्याज रहित जमा	13950313
	अग्रिम	24	अग्रिम	32
	उचंत एवं विविध	210513200	उचंत एवं विविध	49958703
	उचंत	-387202	उचंत	3745541
	अन्य लेखे	210900402	अन्य लेखे	46213162
	कुल लोक लेखे	**375104044**	**कुल लोक लेखे**	**186407993**
	कुल प्राप्तियां	**410800649**	**कुल प्राप्तियां**	**410800649**

(स्रोत : केन्द्रीय लेन–देन विवरण)

परिशिष्ट–13

अपंग व्यक्तियों की संख्या के संबंध में तकनीकी और गैर–तकनीकी पदों की स्थिति (31.12.2012) की स्थिति के अनुसार)

समूह	संस्वीकृत संख्या	नियुक्त किए गए अपंग व्यक्तियों की संख्या
तकनीकी		
ए	227	0
बी	81	1
सी	7	0
सी [एमटीएस]	0	0
कुल	315	1
गैर–तकनीकी		
ए	65	0
बी	239	3
सी	202	3
सी [एमटीएस]	170	2
कुल	**676**	**8**

परिशिष्ट–14

भारत में पंजीकृत वाहनों की कुल संख्या – 2001–2011(हजार में)

वर्ष (31 मार्च की स्थिति के अनुसार)	सभी वाहन	दुपहिया वाहन	कार, जीप एवं टैक्सी	बसें @	माल वाहन	अन्य *
1	2	3	4	5	6	7
2001	54,991	38,556	7,058	634	2,948	5,795
2002	58,924	41,581	7,613	635	2,974	6,121
2003	67,007	47,519	8,599	721	3,492	6,676
2004	72,718	51,922	9,451	768	3,749	6,828
2005	81,499	58,799	10,320	892	4,031	7,457
2006	89,618	64,743	11,526	992	4,436	7,921
2007	96,707	69,129	12,649	1,350	5,119	8,460
2008	105,353	75,336	13,950	1,427	5,601	9,039
2009	114,951	82,402	15,313	1,486	6,041	9,710
2010	127,746	91,598	17,109	1,527	6,432	11,080
2011	141,866	101,865	19,231	1,604	7,064	12,102

*: अन्य में शामिल हैं – ट्रैक्टर, टेलर, तिपहिया (यात्री वाहन)/हल्के मोटर यान तथा विविध वाहन जिन्हें अलग से वर्गीकृत नहीं किया गया है ।

@ : इसमें ओमनी बसें शामिल हैं ।

(स्रोत : राज्य परिवहन आयुक्तों/संघ राज्य प्रशासनों के कार्यालय)

परिशिष्ट–15

2001 – 2011 तक दुर्घटनाओं की संख्या और इनमें शामिल व्यक्तियों की संख्या

वर्ष	दुर्घटनाओं की संख्या		व्यक्तियों की संख्या		दुर्घटना की गंभीरता*
	कुल	घातक	मारे गए	घायल	
2001	405,637	71,219 (17.6)	80,888	405,216	19.9
2002	407,497	73,650 (18.1)	84,674	408,711	20.8
2003	406,726	73,589 (18.1)	85,998	435,122	21.1
2004	429,910	79,357 (18.5)	92,618	464,521	21.5
2005	439,255	83,491(19.0)	94,968	465,282	21.6
2006	460,920	93,917(20.4)	105,749	496,481	22.9
2007	479,216	101,161(21.1)	114,444	513,340	23.9
2008	484,704	106,591(22.0)	119,860	523,193	24.7
2009	486,384	110,993 (22.8)	125,660	515,458	25.8
2010	499,628	119,558 (23.9)	134,513	527,512	26.9
2011	497,686	121,618(24.4)	142,485	511,394	28.6

(स्रोतः राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रदत्त सूचना / कोष्ठक के अंदर दिए गए आंकड़े, कुल दुर्घटनाओं में से घातक दुर्घटनाओं (मृत्यु के) की संख्या का हिस्सा दर्शाते हैं।)

* दुर्घटना की गंभीरता : प्रति 100 दुर्घटनाओं में मारे गए व्यक्तियों की संख्या

परिशिष्ट–16

2003–04 से 2011–12 के दौरान राज्य सड़क परिवहन उपक्रमों के कार्य निष्पादन के चुनिंदा मापदण्ड

चुनिंदा मापदंड	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
सूचना देने वाले राज्य सड़क परिवहन उपक्रमों की संख्या	43	36	36	32	36	37	35	38	38
बेड़ा उपयोग दर %	92.8	92.3	91.9	92.2	92.4	92.3	92.4	90.5	90.4
अधिभोग अनुपात (%)	61.6	64.7	65.9	67.9	68.8	69.9	70.5	72.6	71.9
स्टाफ संख्या (सं)	574,446	690,793	644,837	639,732	672,151	677,087	667,875	726,599	727,990
स्टाफ बस अनुपात	5.9	6.3	5.8	5.9	5.9	5.8	5.6	5.6	5.5
वाहन उत्पादकता (किमी / बस / दिन)	304	306	306	314	319	321	323.3	311.5	312.3
स्टाफ उत्पादकता (किमी / स्टाफ / दिन)	51.4	48.6	52.8	53.0	53.9	55.8	57.5	56.0	56.5
कुल राजस्व (करोड़ रु.)	15,542	18,618	20,016	21,722	23,619	25,582	263,41.91	31,843.38	35,928.73
कुल लागत (करोड़ रु.)	16,697	20,701	22,701	23,753	25,600	28,719	31,079.01	37,744.04	42,626.33
शुद्ध लाभ / हानि (करोड़ रु.)	-1,155	-2,083	-2,685	-2,031	-1,981	-3,137	-5,492.28	-5,898.98	-6,588.15

परिशिष्ट–17

श्रेणी–वार सड़क नेटवर्क (किमी): 1951 से 2011

सड़क श्रेणी	1951	1961	1971	1981	1991	2001	2011
राष्ट्रीय राजमार्ग	19,811 (4.95)	23,798 (4.54)	23,838 (2.61)	31,671 (2.13)	33,650 (1.45)	57,737 (1.71)	70,934* (1.51)
राज्यीय राजमार्ग	1,73,723 (43.44)	257,125 (49.02)	56,765 (6.2)	94,359 (6.35)	1,27,311 (5.47)	1,32,100 (3.99)	1,63,898 (3.49)
अन्य पीडब्ल्यूडी सड़कें	^	^	2,76,833 (30.26)	4,21,895 (28.4)	5,09,435 (21.89)	7,36,001 (21.82)	10,05,327 (21.43)
ग्रामीण सड़कें	2,06,408 (51.61)	197,194 (37.6)	3,54,530 (38.75)	6,28,865 (42.34)	12,60,430 (54.16)	19,72,016 (58.46)	27,49,805 (58.63)
शहरी सड़कें	0 0	46,361 (8.84)	72,120 (7.88)	123,120 (8.29)	186,799 (8.03)	252,001 (7.12)	411,840 (8.78)
परियोजना सड़कें	0 0	0 0	1,30,893 (14.31)	1,85,511 (12.49)	2,09,737 (9.01)	2,23,665 (6.32)	2,88,539 (6.15)
कुल लंबाई	**3,99,942**	**5,24,478**	**9,14,979**	**14,85,421**	**23,27,362**	**33,73,520**	**46,90,342**

नोटः कोष्ठक में दिए गए आंकड़े प्रत्येक सड़क श्रेणी के कुल लंबाई (किमी) का प्रतिशत दर्शाते हैं ।

*76,818 किमी 31 मार्च, 2012 की स्थिति के अनुसार ^ राज्य राजमार्गों सहित

www.morth.nic.in

सड़क परिवहन और
राजमार्ग मंत्रालय
भारत सरकार

परिवहन भवन, 1, संसद मार्ग,
नई दिल्ली – 110001

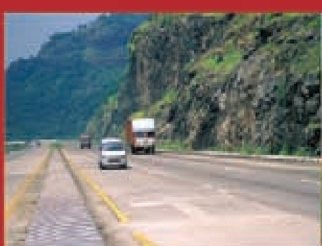

डिज़ाइन एवं मुद्रित: [illegible] प्रा. लि., गुड़गाँव, फोन नं: 0124-2342171